रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 1991/फाल्गुन 28, 1912
No. 99] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 1991/PHALGUNA 28, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1991

सा. का. नि. 150(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारादीप पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में पारादीप पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1991 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

अनुसूची

पारादीप पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम 1989 ।

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन की न्यासी बोर्ड इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम अर्थात् "पारादीप पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियम 1989" बनाती है बशर्ते कि अथित अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो ।

1. लघुशीर्ष और प्रारम्भ :

(क) इन विनियमों को परादीप पत्तन (सामान्य भविष्य निधि) विनियम 1989 कहा जाएगा ।

(ख) भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ये लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में जब तक प्रसंग से दूसरी बात अपेक्षित न हो :

(क) "लेखा अधिकारी" का अर्थ बोर्ड के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी है ।

(ख) "बोर्ड" और "अध्यक्ष" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जैसाकि महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 में दिए गए हैं ।

(ग) अन्यथा स्पष्टरूप से उपबंधित को छोड़कर "परिलब्धियों" का अर्थ भारत सरकार के मूल नियमों में वेतन के रूप में परिभाषित या बोर्ड द्वारा तैयार किए गए नियमों/विनियमों में यदि कोई हो, जो कोई भी अंशदाता पर लागू होता हो। बाह्य सेवा के संबंध में प्राप्त छुट्टी वेतन, निर्वाह अनुदान और वेतन के रूप में कोई पारिश्रमिक ।

(घ) "कर्मचारी" का अर्थ बोर्ड के कर्मचारी से है ।

(च) "परिवार" का अर्थ :

(i) पुरुष अभिदाता के मामले में, पत्नी या पत्नियां, माता पिता, संतान अवयस्क भाइयों, अविवाहित बहनों, मृत पुत्र की विधवा और संतान और जहां अभिदाता के माता पिता जीवित नहीं हैं, अभिदाता के दादा दादी । परन्तु यदि अभिदाता यह साबित करता है कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से या समुदाय के प्रथागत कानून के अधीन उससे अलग हो गई हो जिसके लिए वह पोषण का हकदार बनती हो तो वह अब से इन विनियमों से संबंधित मामलों में अभिदाता के परिवार में सदस्य के रूप में नहीं मानी जाएगी, जब तक कि बाद में अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप से उसे मानते हुए जारी रखने के लिए सूचित करता हो ।

(ii) महिला अभिदाता के मामले में, पति, माता पिता, संतान, अवयस्क भाइयों, अविवाहित बहनों, मृत पुत्र की विधवा और संतान और जहां अभिदात्री के माता पिता जीवित नहीं हैं दादा दादी परन्तु यदि अभिदात्री लेखा अधिकारी को अपने पति को अपने परिवार से अलग करने के लिए अपनी इच्छा लिखित रूप से नोटिस के द्वारा जाहिर करती है तो इन विनियमों से संबंधित मामलों अभिदात्री के परिवार सदस्य के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि अभिदात्री बाद में लिखित रूप से नोटिस के द्वारा रद्द करती हो

नोट: —(1) "संतान" का अर्थ धर्मज संतान होगा और गोद लिया गया संतान अभिदाता के शास्त्री व्यैक्तिक कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर शामिल होगा।

(2) पारादीप पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनियमों के प्रयोजन के लिए एक गोद लिया गया संतान निजी (नेचरल) पिता के परिवार में शामिल नहीं रहेगा जब गोद लेने वाले के व्यक्तिक कानून के अधीन गोद लेना कानूनी रूप से मान्य हो।

(छ) "फार्म" का अर्थ विनियमों के साथ संलग्न फार्म से है।

(ज) "निधि" का अर्थ पारादीप पत्तन कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि से है।

(झ) "विभागाध्यक्ष" का अर्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा-धोषित ऐसे प्राधिकारी से है ।

(ट) "छट्टी" का अर्थ सी. सी. एम. (छट्टी) नियम 1972 या महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 के अधीन बनाये गये विनियम के अधीन किसी भी प्रकार की छट्टी जो कोई भी अभिदाता को प्रयोज्य है।

(ठ) वर्ष का अर्थ वित्तीय वर्ष से है।

(2) इन विनियमों में प्रयोग किये गये कोई अन्य अभिव्यक्ति जो कि भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का 19) या केन्द्रीय सरकार के मूल नियमों या कोई अन्य नियम विनियम जैसा कि परिभाषित हैं और अभिदाता के लिए प्रयोज्य है; उनका अर्थ वही होगा जैसा कि क्रमशः ऐसे अधिनियम, नियम और विनियम में दिये गये हैं :

(3) निधि का गठन :—निधि का प्रशासन न्यासी बोर्ड के द्वारा किया जाएगा और रखरखाव रुपयों में किया जाएगा।

(4) पात्रता के शर्त : —

(1) सभी अस्थाई कर्मचारी एक वर्ष निरंतर सेवा के बाद, सभी पनर्नियुक्त पेंशनभोगी (अंशदायी भविष्य निधि के लिए पात्रता प्रवेश पाने के पात्रता रखने वाले को छोड़कर) और स्थायी कर्मचारी निधि को अभिदान करेंगे।

(2) अस्थाई कर्मचारी यदि इच्छा करते हों तो एक वर्ष से निरंतर सेवा पूर्ण होने के पूर्व निधि को अभिदान कर सकते हैं।

(3) कर्मचारी जो अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाता हैं वे सामान्य भविष्य निधि को अभिदान करने के पात्र नहीं होंग।

(4) कर्मचारी को निधिरित प्रपत्र-II (तीन प्रतियों में) नामांकन कार्यालय के प्रधान को प्रस्तुत करना होगा।

(5) कार्यालय का प्रधान लेखा अधिकारी को तीन प्रतियों में नामांकन पत्र सहित विवरण प्रत्येक माह 15 तारीख को भेजेगा।

(6) लेखा अधिकारी सामान्य भविष्य निधि की संख्या आबंटित करने के बाद विवरण की एक प्रति (फार्म 1) और नामांकन पत्र रख लेगा और

फार्म I और II की अन्य प्रतियां कार्यालय के प्रधान को वापस कर देगा। उसके बाद फार्म II में नामांकन की एक प्रति अभिदाता की सेवा पुस्तिका/सेवा पंजी के प्रथम पृष्ठ पर चिपकाई जाएगी और दूसरी प्रति पावती देते हुए अभिदाता को वापस कर दी जाएगी।

5. शेषों का अन्तरण :

इन विनियमों के प्रारम्भ होने के बाद सामान्य भविष्य निधि नियम 1960 के अधीन गठित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि के जमा में रहे शेष को इन विनियमों के अधीन गठित कर्मचारी के लेखे में जमा किया जाएगा ।

6. नामांकन

1. अभिदाता के निधि में शामिल होने पर कार्यालय के प्रधान के माध्यम से लेखा अधिकारी को एक या अधिक व्यक्तियों को उसकी मृत्यु पर निधि में उसकी जमा में रही राशि, उक्त राशि के भुगतान योग्य होने के पूर्व या भुगतान योग्य होकर प्रदत्त न किया गया हो को प्राप्त करने के लिए अधिकार देते हुए सूचित करेगा ।

परन्तु नामांकन करते समय यदि कर्मचारी का परिवार हो तो इस प्रकार का नामांकन केवल अपने परिवार के एक सदस्य या सदस्यों के पक्ष में करेगा।

परन्तु अभिदाता के द्वारा किसी अन्य भविष्य निधि के संबंध में नामांकन किया गया हो जिसके लिए वह निधि में शामिल होने के पूर्व अभिदान किया है और यदि इस तरह के अन्य निधि में उसकी जमा में राशि का निधि में उसके जमा में अन्तरण होने पर इन विनियमों के अधीन किया गया नामांकन माना जाएगा। जब तक कि वह इन विनियमों के अनुसार नामांकन करता हो।

2. यदि अभिदाता उपविनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नामांकन करता हो तो वह नामांकन में प्रत्येक नामितों को भुगतान योग्य राशि या अंश इस प्रकार स्पष्ट करेगा कि किसी भी समय उसके जमा में रही पूर्ण राशि सम्मिलित होती हो।

3. प्रत्येक नामांकन इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म II में किया जाएगा ।

4. अभिदाता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित रूप से नोटिस भेजते हुए नामांकन को रद्द कर सकता है। अभिदाता ऐसे नोटिस सहित या अलग से इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नया नामांकन भेजेगा ।

5. नामांकन में अभिदाता दे सकता है ।

(क) किसी उल्लिखित नामिती के संबंध में, उसका अभिदाता को छोड़ने पर उस नामिति को प्रदान किया गया अधिकार अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जा सकता है जैसे कि नामांकन में उल्लिखित हो परन्तु यदि अभिदाता के परिवार में अन्य सदस्य हैं तो ऐसे अन्य व्यक्ति, व्यक्तियों को अन्य सदस्य होना चाहिए। यदि अभिदाता इस खंड के अधीन ऐसा अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों को प्रदान करता है तो वह ऐसे व्यक्तियों को भुगतानयोग्य राशि या अंश का इस तरह से स्पष्ट करेगा कि नामित नामितियों को भुगतान योग्य पूर्ण राशि सम्मिलित हो सके।

(ख) उसमें उल्लिखित आकस्मिकता के पड़ने पर नामांकन अविधिमान्य होगा।

परन्तु नामांकन करते समय अभिदाता का परिवार में यदि केवल एक ही सदस्य है तो वह नामांकन में यह व्यवस्था करेगा कि खण्ड (ख) के अधीन विकल्प नामिति को प्रदान किया गया अधिकार उसके द्वारा बाद में अन्य सदस्य या उसके परिवार के सदस्यों को लेने पर अविधिमान्य होगा।

6. नामित के मृत्यु पर जिसके संबंध में उपविनियम (5) के खण्ड (क) के अधीन नामांकन में विशेष व्यवस्था न की गई हो या कोई ऐसी घटना होने पर जिसके कारण उपविनियम (5) के खण्ड (ख) के अनुसार नामांकन अविधिमान्य होती हो या उसके परन्तुक अभिदाता लेखा अधिकारी को नामांकन को रद्द करते हुए लिखित रूप से नोटिस और इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार नया नामांकन भेजेगा ।

7. अभिदाता के द्वारा दिया गया प्रत्येक नामांकन और प्रत्येक स्वगत नोटिस इस हद तक हो कि वह विधिमान्य हो और लेखा अधिकारी के द्वारा प्राप्त करने की तारीख से प्रभावी होगा।

8. यदि अभिदाता के विधवा के पक्ष में नामांकन न रहता हो तो उसके पूर्व पति के जमा निधि के संबंध में विधवा के दावे के हक में उसके बाद के विवाह के द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. यदि अभिदाता का परिवार नहीं है या नामिति के सिवाय कोई व्यक्ति नहीं है, उसके परिवार का गठन करते हुए जैसा कि विनियमों में परिभाषित है, जिस व्यक्ति को नामिति का अधिकार किया जाता है उसका नाम अंतिम कालम में रहेगा और उसके परिवार के सदस्य के अलावा कोई अन्य होगा ।

10. अभिदाता सेवानिवृत्त/सेवामुक्त हो जाने के बाद भी उसके द्वारा सेवा में रहते हुए दिया गया नामांकन का परिवर्तन कर सकता है जब तक कि अभिदाता की जमा राशि का वास्तव में भुगतान न किया गया हो बशर्ते कि नामांकन का परिवर्तन या संशोधन संबंधित सामान्य भविष्य निधि विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किये गये हों और अधिसूचित हों ।

11. अभिदाता के मृत्यु के पूर्व कार्यालय के प्रधान को प्रस्तुत किया गया नामांकन को, उस तथ्य के न होते हुए भी कि अभिदाता के मृत्यु के पूर्व लेखा अधिकारी के पास नहीं पहुंचा है विधिमान्य नामांकन माना जाएगा ।

12. (i) अभिदाता के मृत्यु पर, यद्यपि नामित को भविष्य निधि के रकम को प्राप्त करने के अधिकार है, उसे रकम प्राप्त करने के लिए किसी और को प्राधिकृत करने का अधिकार नहीं होगा ।

(ii) मृत अभिदाता को प्रयोज्य वैयक्तिक कानून के अधीन वारिसों के लिए भविष्य निधि के रकम के उनके अंश के लिए दावा करने के लिए हमेशा खुला है।

नोट :

(क) भविष्य निधि का भुगतान नामिति को नहीं किया जाना चाहिए जब मामला न्यायाधीन रहा हो।

(ख) ऐसे मामले में जहां मुकदमा दायर करने की संभावना हो तो संबंधित विभागाध्यक्ष पार्टी को मुकदमा दायर करने के बारे में लिखते हुए सूचित करेगा कि पत्तन न्याय इतने दिनों के अन्दर भुगतान करने की इच्छा करती है। और

(ग) निचले न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने के बाद यदि कुछ पार्टियां ऐसे न्यायालय के फैसला के विरुद्ध अपील करना चाहती हो तो संबंधित विभागाध्यक्ष को पार्टी को जो मामले में हार चुकी है को लिखना चाहिए कि कथित यथोचित अवधि के अन्दर पार्टी न्यायालय से स्टे आर्डर प्राप्त नहीं करती है तो भुगतान कर दिया जाएगा ।

(घ) संबंधित विभागाध्यक्ष को ऊपरलिखित तीनों प्रकार के मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए जब तक कि अंतिम भुगतान के लिए आवेदन लेखा अधिकारी को अग्रेषित नहीं किया जाता । उत्तरदायित्व लेखा अधिकारी और संबंधित विभागाध्यक्ष दोनों का होगा और जो कोई भी सूचना प्राप्त करता है तो दूसरे को देना होगा ।

7. अभिदाता का लेखा :

प्रत्येक अभिदाता के नाम पर लेखा खोला जाएगा जिसमें यह उल्लिखित होगा :

1. उसका अभिदान

2. अभिदान पर ब्याज जैसाकि विनियम 12 में व्यवस्था है।

3. निधि से अग्रिम और निकासी

4. निधि को अग्रिम की वापसी।

नोट :

अभिदाता को आबंटित सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या को सेवा पुस्तिका/सेवापंजी के प्रथम पृष्ठ के दाहिने और ऊपर रबड़ मोहर के द्वारा प्रविष्ट की जानी चाहिए।

8. अभिदान के शर्त :

(1) केवल जब वह निलंबन के अधीन रहता हो को छोड़कर अंशदाता निधि को मासिक अंशदान करेगा।

परन्तु अंशदाता अपने विकल्प पर छुट्टी अवधि में अंशदान नहीं देगा जिसमें या तो छुट्टी वेतन नहीं पाता हो या आधे वेतन के छुट्टी के बराबर या उससे कम पाता हो।

परन्तु अंशदाता को निलंबन के अधीन बीते अवधि के बाद बहाल होने पर उसे एक मुश्त में या किश्तों में भुगतान करने के लिए अनुमति दी जाएगी जोकि उस अवधि के लिए भुगतानयोग्य अधिकतम बकायी राशि से अधिक नहीं होगी ।

नोट : अभिदाता को अकार्य दिवस मानी गयी अवधि के अन्तर्गत अंशदान देने की आवश्यकता नहीं है ।

(2) उपविनियम (1) के प्रथम प्रोविजो में संदर्भित छुट्टी के अन्तर्गत अभिदाता निम्न तरह से अंशदान न करने का अपना विकल्प सूचित करेगा ।

(क) यदि वह एक अधिकारी है तो छुट्टी पर जाने के पूर्व लिखित रूप से लेखा अधिकारी को सूचित करेगा ।

(ख) यदि वह अधिकारी नहीं है तो छुट्टी पर जाने जाने के पूर्व अपने कार्यालय के प्रधान को लिखित रूप से सूचित करेगा। समय पर उचित सूचना देने में चूकने पर अंशदान देने के पक्ष में समझा जाएगा। इस उप विनियम के अधीन सूचित अंशदाता के विकल्प अंतिम होगा ।

(3) अंशदाता विनियम 20 के अधीन निधि में उसके जमा में रहे राशि को निकालता है तो ऐसे निकालने के बाद जब तक वह कार्य पर वापस नहीं आता निधि को अंशदान नहीं करेगा ।

(4) उप विनियम (1) में किसी बात के अन्यथा रहते हुए भी अंशदाता उस माह के लिए निधि को अंशदान नही करेगा जिसमें वह सेवाएं छोड़ना हो जब तक कि कथित माह के प्रारम्भ होने के पूर्व वह कथित माह के लिए अंशदान करने के लिए अपना विकल्प कार्यालय के प्रधान को सूचित करता हो ।

(5) कर्मचारी को निवर्तन में सेवानिवृत्त होने के कारण उसके सेवा के पिछले तीन माह के अन्तर्गत सामान्य भविष्य निधि को कोई अंशदान देने में छूट दी जाएगी।

(6) कर्मचारी यदि इच्छुक हो तो बोनस, अंतरिम राहत आदि का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उसके सामान्य भविष्य निधि लेखे में जमा कर सकता है।

(9) अभिदान के दर

(1) निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वयं अंशदाता के द्वारा अंशदान की राशि निर्धारित की जा सकती है अर्थात :—

(क) पूरे रुपयों में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।

(ख) स्पष्ट की गई कोई भी राशि उसके कुल परिलब्धियों के 6 प्रतिशत से कम नहीं होगी और कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी।

(ग) जब कर्मचारी 6 प्रतिशत के न्यूनतम दर पर अंशदान करने के लिए चुनता है तो रुपये के अंश को अति निकट के पूरे रुपये में पूर्णांक में लिया जाएगा 50 पै० का गणन अगले रुपये तक बढ़ाया जाएगा।

(2) उपविनियम (1) के प्रयोजन के लिए अंशदाता के परिलब्धियां :

(क) अंशदाता के मामले में जो पूर्वगामी वर्ष के 31 मार्च को बोर्ड के सेवाओं में था, उस तारीख पर परिलब्धियां जिसका वह हकदार था। परन्तु

I. यदि अंशदाता कथित तिथि पर छुट्टी पर था और ऐसे छुट्टी के दौरान अंशदान न करने के लिए चुना था या कथित तिथि पर निलंबन के अधीन था, उसके कार्य पर वापस आ जाने के बाद प्रथम दिन पर परिलब्धियों का हकदार हो वही परिलब्धियां होंगी।

II. यदि कथित तारीख पर अंशदाता भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या छुट्टी पर था और पर रहते अंशदान करने के पक्ष हो में तो उसकी परिलब्धियां वहीं होगी यदि भारत में कार्य पर रहा हो और जिसके लिए वह हकदार हो।

(ख) अंशदाता के पूर्वगामी वर्ष के 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में न होने के मामले में निधि में शामिल होने के दिन जिन परिलब्धियों का हकदार था।

(3) अंशदाता निम्न तरह से अपनी मासिक अंशदान का निर्धारण सूचित करेगा।

(क) यदि वह पूर्वगामी वर्ष के 31 मार्च को कार्य पर था तो उस माह के लिए उसके वेतन बिल से इसके लिए कटौती के द्वारा :

(ख) यदि वह पूर्वगामी वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था और ऐसे छुट्टी के दौरान अंशदान न करने के पक्ष में हो या उस तिथि पर निलंबन के अधीन हो तो उसके कार्य में वापस आने के बाद इसके लिए उसके प्रथम वेतन बिल से कटौती के द्वारा :

(ग) यदि वर्ष के अन्तर्गत वह बोर्ड की सेवा में प्रथम बार प्रवेश किया हो तो उसके निधि में शामिल होने के माह के लिए उसके वेतन बिल से कटौती के द्वारा

(घ) यदि पूर्वगामी वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था और निरंतर छुट्टी पर रहता हो और ऐसे छुट्टी के दौरान अंशदान करने के पक्ष में हो तो उस माह के लिए इसके लिए कटौती के द्वारा :

(च) यदि वह पूर्वगामी वर्ष के 31 मार्च को इतर सेवा पर था तो चालू वर्ष में अप्रैल माह के लिए अंशदान के लिए बोर्ड के लेखे में जमा की गई राशि के द्वारा :

(4) निर्धारित की गई अंशदान की राशि ऐसी होगी :

(क) वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय घटाई गई।

(ख) वर्ष के अन्तर्गत दो बार बढ़ाई गई।

परन्तु अंशदान की घटाई गई राशि उपविनियम (1) में निर्धारित न्यूनतम से कम नहीं होगी।

(ग) परन्तु अंशदाता कैलेन्डर माह के एक भाग के लिए बिना वेतन या आधे वेतन की छुट्टी पर है और ऐसे छुट्टी के अन्तर्गत अंशदान न करने के लिए चुनता हो तो यदि कोई ऊपर संदर्भित के अलावा भुगतानयोग्य अंशदान का रकम छुट्टी सहित कार्य पर रहे दिनों की संख्या के अनुपात में होगा।

10. इतर सेवा को स्थानान्तरण या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति :

जब अंशदाता को इतर सेवा में स्थानान्तरित किया जाता है या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो वह निधि के विनियमों के लिए उसी तरह रहेगा जैसा कि उसे स्थानान्तरित न किया गया हो या प्रतिनियुक्ति पर न भेजा गया हो।

11. अंशदान की वसूली :

(1) जब भारत में परिलब्धियों का आदान किया जाता है तो इस परिलब्धियों पर अंशदान की और अग्रिमों की मूल और ब्याज की वसूली इन्हीं परिलब्धियों से होगी।

(2) जब अन्य साधनों से परिलब्धियों का आदान होता है तो अंशदाता अपने मासिक देय को लेखा अधिकारी को भेजेगा।

परन्तु ऐसे अंशदाता के मामले में सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व में रहे निगम, इकाई से प्रतिनियुक्ति पर रहने पर ऐसे निकाई के द्वारा अंशदान लेखा अधिकारी को भेजा जाएगा।

3. यदि अंशदाता को जिस तारीख से निधि में शामिल होना अपेक्षित है अंशदान करने में चूकता है या नियम 8 में किये गये प्रावधानों के अन्यथा किसी माह या महीनों में चूकता है तो निधि को अंशदान की बकायी राशि विनियम 12 में दी गई दर के हिसाब से ब्याज सहित भुगतान करना होगा या चूकने पर लेखा अधिकारी के द्वारा अंशदाता के परिलब्धियों से किश्तों द्वारा या अन्यथा कटौती के लिए आदेश दिया जाएगा जैसा कि अग्रिम मंजूर करने वाले संबंधित प्राधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया हो ऐसी मंजूरी के लिए विनियम 13 के उप विनियम (2) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है।

परन्तु अभिदाताओं जिनके निधि में जमा पर ब्याज नहीं होता हो उन्हें कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है।

परन्तु इस विनियम के उप विनियम (2) परन्तुक के अनुसार रकम भेजे जाने के मामले में जमा करने की तिथि उस माह के प्रथम दिन को माना जाएगा यदि लेखा अधिकारी के द्वारा उस माह के पन्द्रहवें दिन के पूर्व प्राप्त किया गया हो।

12. ब्याज

1. इस विनियम के उप विनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित ब्याज के पद्धति के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसा दर जैसा कि निर्धारित किया गया हो अभिदाता के लेखे में जमा में भुगतान किया जाएगा।

परन्तु यदि किसी वर्ष के लिए ब्याज का दर 4 प्रतिशत से कम निर्धारित किया गया हो तो पूर्वगामी वर्ष में निधि के सभी अभिदाताओं जिनके लिए 4 प्रतिशत से कम प्रतिशत पहली बार निर्धारित की गई तो ब्याज 4 प्रतिशत पर ही ही दिया जाएगा।

परन्तु अभिदाता केन्द्रीय सरकार के अन्य भविष्य निधि को पहले से अंशदान कर रहा हो और जिसका अंशदान उस पर ब्याज सहित विनियम 23 के अधीन उसके निधि में, उसके जमा में अंतरित किया गया हो, उसे 4 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा यदि वह इस विनियम के प्रथम परन्तुक के समान प्रावधान के अधीन अन्य निधि के नियमों के अन्तर्गत उस दर पर प्राप्त किया हो।

2. ब्याज को निम्न तरह से प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन से जमा किया जाएगा :

1. पूर्वगामी वर्ष के अन्तिम दिन पर जमा की राशि पर चालू वर्ष के अन्तर्गत निकाले गए रकमों को घटाने हुए बारह महीनों के लिए ब्याज।

2. चालू वर्ष के अन्तर्गत निकाले गये रकम चालू वर्ष के प्रारम्भ से निकालने के माह से पूर्वगामी माह के अंतिम दिन तक।

3. पूर्वगामी वर्ष के अंतिम दिन के बाद अभिदाता के लेखे में जमा सभी रकमों पर जमा की तारीख से चालू वर्ष के अन्त तक ब्याज।

4. ब्याज की कुल राशि को पास के पूर्ण रु० में लिया जाएगा (पचास पैसे को अगले रु० तक बढ़ाया जाएगा)

परन्तु, यदि अभिदाता के जमा में रहने वाली राशि भुगतान योग्य होती है तो इस विनियम के अधीन उस पर ब्याज चालू वर्ष के प्रारम्भ से या जमा करने की तारीख से मामला जैसा भी हो, जमा की जाएगी।

3. इन विनियमों में परिलब्धियों के वसूली के मामले में, माह के प्रथम दिन जिसमें वसूल की गई है, माना जाएगा और अभिदाता द्वारा भेजे गये रकमों के मामलों में प्राप्त होने की माह के प्रथम दिन को माना जाएगा, यदि यह लेखा अधिकारी के द्वारा उस माह के पांचवें दिन के पूर्व प्राप्त की गई हो। परन्तु यदि यह उस माह के पांचवें दिन के बाद प्राप्त की गई हो तो अगले अनुवर्ती माह का प्रथम दिन माना जाएगा।

परन्तु जहां अभिदाता के वेतन, या छुट्टी वेतन और भतों के आदान में और बाद में निधि के लिए उसके अंशदान की वसूली में विलम्ब होता हो, तो ऐसे अंशदानों पर ब्याज अभिदाता के उस माह से जिसमें वेतन या छुट्टी वेतन इन विनियमों के अधीन देय है भुगतान करना होगा चाहे किसी भी माह में आदान किया गया हो।

परन्तु विनियम 11 के उप विनियम (2) के परन्तुक के अनुसार अग्रेषित ऐसे रकम के मामले में जमा की तारीख को माह का प्रथम दिन माना जाएगा यदि वह लेखा अधिकारी के द्वारा माह के पन्द्रहवें दिन के पूर्व प्राप्त किया गया हो।

परन्तु जहां किसी माह के लिए परिलब्धियों को उसी माह के अन्तिम कार्यदिवस पर आदान और संवितरण किया गया हो तो उसके अंशदान की वसूली के मामले में जमा की तारीख अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को माना जाएगा।

4. विनियम 19, 20 या 21 के अधीन भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि पूर्वगामी माह के अन्त तक उस पर ब्याज जिसे भुगतान किया गया है या छह महीनों के अन्त तक उस माह के बाद जिसमें ऐसी राशि भुगतान योग्य होती है इनमें जो भी कम अवधि की हो, व्यक्ति को भुगतान योग्य होगा जिसे ऐसी राशि का भुगतान किया जाना है।

परन्तु जहां लेखा अधिकारी उस व्यक्ति (या उसके एजेन्ट) को उस तारीख को सूचित किया हो जिस पर वह नगद द्वारा भुगतान करने के लिए तैयार हो या उस व्यक्ति को चैक भेजा हो तो ब्याज केवल सूचित किये गये तारीख के पूर्वगामी माह के अन्त तक या चैक भेजने की तारीख तक ही भुगतान योग्य जैसा कि मामला हो।

परन्तु जब अभिदाता सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 2) के अधीन पंजीकृत सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के अधीन सरकार या स्वायत्त संस्था के द्वारा नियंत्रित किसी इकाई निगम में प्रतिनियुक्ति पर हो और बाद में ऐसे इकाई निगम या संस्था में पूर्वगामी तिथि से एब्जार्ब होता हो तो अभिदाता के संचित निधि पर या ब्याज के गणन के प्रयोजन के लिए एब्जार्पशन के संबंध में जारी किये गये आदेश की तिथि को अभिदाता के जमा में राशि जिस तारीख पर रहती है, भुगतान योग्य होती है उसे माना जाएगा बशर्ते कि इस उप विनियम के अधीन एब्जार्पशन के प्रारम्भ की तारीख से और एब्जार्पशन के आदेश की जारी होने की तारीख पर समाप्त होने की अवधि, निधि के लिए अंशदान केवल ब्याज देने के प्रयोजन के लिए माना जाएगा।

नोट : निधि शेष पर ब्याज के भुगतान के लिए छह महीनों की अवधि से एक वर्ष तक लेखा अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा जबकि व्यक्तिगत रूप से उसे संतुष्ट होने पर कि अभिदाता के नियंत्रण में न रहने वाली परिस्थितियों के उत्पन्न होने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ है या उस व्यक्ति को जिसे भुगतान करना है और प्रत्येक ऐसे मामले के विषय में जिसमें प्रशासनिक विलम्ब हुआ है को पूरी तरह से जांच किया जाएगा और यदि कोई कार्रवाई अपेक्षित हो की जाएगी।

5. अभिदाता के लेखे में ब्याज को जमा नहीं किया जाएगा यदि वह लेखा अधिकारी को सूचित करता है कि वह इसे प्राप्त नहीं करना चाहता परन्तु यदि बाद में ब्याज के लिए मांग करता है तो उसे उसके मांगे जाने के वर्ष के प्रथम दिन से जमा किया जाएगा।

6. लेखे पर ब्याज जोकि विनियम 20 या विनियम 19 विनियम 11 के उप विनियम (3) के अधीन निधि में अभिदाता के जमा से बदलाव किये गये हैं तो उप विनियम (1) में जैसा कि कथित निर्धारित हो, ऐसे दरों पर गणन किया जाएगा।

7. इन विनियमों के अन्तर्गत वार्षिक ब्याज के दर का प्रतिशत जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिसूचित किया गया है, प्रतिवर्ष गणन के लिए पालन किया जाएगा

8. जब अभिदाता माह के अंतिम कार्यदिवस पर सेवा-निवृत्त होता है तो विनियम 12 (4) इबिद के प्रयोजन के लिए छह माह की अवधि का हिसाब अगले अनुवर्ती माह को छोड़कर किया जाएगा। कहने का अर्थ, उदाहरण के लिए जब अभिदाता के सेवा का अंतिम दिन 31 मई हो तो छह माह की अवधि का गणन जून से नवम्बर तक किया जाएगा।

9. यदि अभिदाता की मृत्यु सेवा निवृत्ति के पूर्व माह के अंतिम दिन के पूर्वाह्न में होती है तो विनियम 12 (4) के इबिद के प्रयोजन के लिए छह माह की अवधि का गणन उसके मृत्यु के दूसरी माह से की जाएगी।

13. निधि से अग्रिम :

1. मंजूरी देने वाला समुचित प्राधिकारी किसी भी अभिदाता को संपूर्ण रुपयों की कुल राशि जोकि तीन महीनों की वेतन से अधिक न होती हो या निधि में उसके जमा में रहे आधी रकम जो कोई भी कम हो, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए एक या अधिक के लिए मंजूरी दे सकता है।

(क) बीमारी, कन्फाइनमेन्ट, डिजेबलटी के संबंध में व्यय के भुगतान के लिए अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों का यात्रा खर्च या उस पर आश्रित अन्य व्यक्ति के लिए जहां आवश्यकता हो सहित।

ख. उच्च शिक्षा के खर्च को वहन करने के लिए, निम्न-लिखित मामलों में अभिदाता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के लिए यात्रा खर्च।

1. हाई स्कूल स्तर से ऊपर शैक्षणिक, तकनीकी, प्रोफेशनल या वोकेशनल पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा के लिए।

2. हाई स्कूल स्तर से ऊपर भारत के बाहर किसी भी मेडिकल, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम के लिए बशर्ते कि अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम तीन वर्षों से कम न हो।

ग. अभिदाता के प्रतिष्ठा के समुचित स्तर पर अभिदाता की प्रथा को चलाने के लिए मंगनी, विवाह, अंत्येष्टिक्रिया या अन्य समारोहों के संबंध में बाध्यकर खर्च के वहन के लिए।

घ. अभिदाता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति के द्वारा या उस पर की गई कानूनी कार्यवाही के खर्च को वहन करने के लिए।

च. अभिदाता के प्रतिरक्षा के लिए खर्च का वहन जब उसके सरकारी दुराचार के किसी अभियोग के संबंध में जांच के लिए अपने स्वयं की प्रतिरक्षा के लिए वकील रखता हो।

छ. प्लाट और/घर के निर्माण के लिए या उसके आवास के लिए फ्लैट या सरकार द्वारा आबंटित प्लाट और या फ्लैट के भुगतान के लिए।

डेवेलपमेन्ट अथारिटी या स्टेट हाउसिंग बोर्ड या संबंधित कोआपरेटिव अधिनियम (1–ए) के अधीन पंजीकृत हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी। अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में किसी भी अंशदाता को अग्रिम के लिए मंजूरी दे सकता है यदि वह संतुष्ट होता है कि अभिदाता को जो उपविनियम (1) उल्लिखित है, को छोड़कर अन्य कारणों के लिए अग्रिम की आवश्यकता है।

2. विशेष कारण जिनका अभिलेख लिखित रूप में किया जाना है को छोड़कर किसी भी अभिदाता को उप विनियम (1) में निर्धारित सीमा से अधिक या किसी पिछले अग्रिम के अंतिम किश्त के पुर्नभगतान होने तक अग्रिम की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

3. कोई भी पूर्ण होने वाली पिछली अग्रिम के अंतिम किश्त के पुर्नभगतान के पूर्व जब उप विनियम (2) के अधीन अग्रिम की मंजूरी दी जाती है तो पिछले अग्रिम का बकाया जोकि वसूल नहीं किया गया है ऐसी मंजूरी दी जाने वाली अग्रिम में जोड़ा जाएगा और समेकित राशि को निर्दिष्ट करके वसूली के लिए किश्तों का निर्धारण किया जाएगा।

नोट :– इस विनियम के अधीन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी मंजूरी दी जाएगी।

(क) किसी व्यक्ति का वार्षिक श्राद्ध समारोह जोकि अपने मृत्यु के पूर्व अभिदाता के परिवार का सदस्य था/थी या उस पर आश्रित था/थी।

(ख) अभिदाता के पुत्र या पुत्रियां उस पर आश्रित किसी अन्य महिला रिश्तेदार की सगाई/विवाह समारोह।

(ग) कार/मोटर/साईकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद।

2. इस विनियम के प्रयोजन के लिए "वेतन" में वेतन, मंहगाई वेतन जहां स्वीकार्य हों शामिल हैं।

3. संजूर करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी होगा जोकि अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

4. अभिदाता को विनियम 13 के उप विनियम (1) के मद (ख) के अधीन प्रत्येक छह महीनों में एक अग्रिम लेने की अनुमति है।

5. विनियम 13 के उप विनियम (1) के मद (ख) 11 के प्रयोजन के लिए तकनीकी/विशेषज्ञी के रूप में माने जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं :

क. इंजीनियरी और टेक्नालॉजी के मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम जैसे सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, टेलेकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरी मेटालर्जी आटोमोबाइल इंजीनियरी, टेक्सटाइल टेक्नालाजी, लेदर टेक्नालाजी, प्रिंटिंग टेक्नालॉजी, केमिकल टेक्नालॉजी।

ख. विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित इंजीनियरी और टेक्नालॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सिविल इंजीनियरी विद्युत इंजीनियरी, टेले इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरी और इलेक्ट्रानिक्स माइनिंग इंजीनियरी मेटालार्जी एरोनाटिकल इंजीनियरी, केमिकल इंजीनियरी केमिकल टेक्नालॉजी टेक्सटाइल टेक्नालॉजी, लेदर टेक्नालॉजी, फार्मेसी, सेरामिक्स इत्यादि इत्यादि।

ग. विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित इंजीनियरी और टेक्नालॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

घ. मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित आर्किटेक्चर, टाइन प्लानिंग और एलाइट क्षेत्रों में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

च. मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित वाणिज्य में डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम।

छ. मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

ज. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा आयोजित, कृषि, पशु रोग संबंधी विज्ञान और संश्रित विषयों में स्नातक पाठ्यक्रम।

झ. जूनियर टैक्नीकल स्कूलों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम।

ए. श्रम और रोजगार मंत्रालय (डी.जी. एण्ड टी.) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम।

फ. मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित आर्ट/एप्लाइड आर्ट और संश्रित विषयों में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

ब. मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा ड्राफ्टमैनशिप पाठ्यक्रम। मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा।

भ. चिकित्सा पाठ्यक्रम (एलोपैथिक, होमियोपैथिक, आयुर्वैदिक और यूनानी पद्धतियों सहित)।

म. बी.एस.सी. (होम साइंस) पाठ्यक्रम।

त. मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा होटल प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

थ. होम साइंस, औषधि में प्रि-प्रोफेशनल पाठ्यक्रम यदि औषधि में नियमित 5 वर्षों का भाग में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

द. बाइयोकेमिस्ट्री, में पी.एच.डी.

ध. फिजिकल एजुकेशन में बैचलर और मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम।

न. विधि में डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

ट. "माइक्रोबायलॉजी" में हानर्स पाठ्यक्रम।

ठ. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस का एसोसिएटशिप।

ड. श्रम/सामाजिक कल्याण /कार्मिक प्रबंधन या औद्योगिक प्रबंध में डिग्री/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या प्रबंधन में डिग्री या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

ढ. होटल प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

ण. सांख्यिकी में एम.एस.सी. पाठ्यक्रम।

य. मास्टर ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन।

कक. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरियटस् ऑफ इण्डिया का कंपनी सेक्रेटेरीशिप पाठ्यक्रम।

कख. मर्चेन्टशिप पर प्रोस्पेक्टिव नेविगेटिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण जहाज "राजेन्द्र" पर दी जाने वाली थ्रि-मी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

कग. समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण महानिदेशालय में आयोजित समुद्री इंजीनियरी में पाठ्यक्रम ।

कघ. नेशनल डिफेन्स एकाडेमी, खडगवसला में प्रवेश के लिए प्रारम्भिक प्रभार का भुगतान भी अग्रिमों या अंतिम निकासी के लिए योग्य होगा ।

6. नीचे दिये गये अनुसार अध्यक्ष के द्वारा नियम में छूट देते हुए अभिदाता को अग्रिमों/अंतिम निकासियों की मंजूरी दी जाएगी ।

1. विनियम 13 के अधीन जो विनिर्दिष्ट हैं उनके अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए सामान्य भविष्य निधि के शेष में से 90 प्रतिशत तक मंजूरी ।

2. इस संबंध में विनियम 16 और 17 के अधीन निर्धारित अन्य शर्तों के रहते ।

3. अभिदाता के जमा में संचित के शेष से 90 प्रतिशत तक निकासी ।

14. अग्रिम की वसूली :

1. अभिदाता के अग्रिम की वसूली ऐसे समान मासिक किश्तों में की जाएगी जैसाकि मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाता है परन्तु ऐसी संख्या बारह से कम न होगी और चौबीस से अधिक नहीं होगी जब तक अभिदाता ऐसा चुनता है । विशेष मामलों में विनियम 13 के उपविनियम (2) के अधीन जब अग्रिम की राशि अभिदाता के तीन महीनों के वेतन से अधिक होती है तो मंजूर करने वाला प्राधिकारी ऐसी किश्तों की संख्या 24 से अधिक निर्धारित कर सकता है परन्तु किसी भी हालत में चौबीस से अधिक नहीं होगा न अभिदाता अपने विकल्प पर एक माह में एक से अधिक किश्त का पुनर्भुगतान कर सकता है । प्रत्येक किश्त पूर्ण रु. में होगी । ऐसे किश्तों को निर्धारित करने के लिए अग्रिम की राशि को बढ़ाया या कम किया जा सकता है ।

2. अंशदान की वसूली के लिए विनियम 11 में निर्धारित पद्धति से की जाएगी और अग्रिम लेने के अगले माह से प्रारम्भ की जाएगी । अभिदाता की सम्मति के बिना उस समय वसूल नहीं की जाएगी जब वह निर्वाह अनुदान प्राप्त करता हो या दस दिन से अधिक छुट्टी पर हो या एक कैलेन्डर माह में अधिक हो जिसमें छुट्टी वेतन न मिलता हो या समान छुट्टी वेतन होता हो या आधे वेतन से कम या आधा औसत वेतन होता है जैसाकि मामला हो । मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा अभिदाता को मंजूर किये गये वेतन में अग्रिम की वसूली के दौरान अभिदाता के लिखित अनुरोध पर वसूली मुल्तवी की जा सकती है ।

3. यदि अभिदाता को मंजूरी दी जाती है और उसके द्वारा लिया जाता है और बाद में वसूली पूर्ण होने के पूर्व अग्रिम अस्वीकार्य होता है तो अभिदाता के द्वारा निकाली गयी संपूर्ण या शेष राशि को निधि में जमा करना होगा या चूकने पर लेखा अधिकारी के आदेश के द्वारा अभिदाता के परिलब्धियों में से एकमुश्त में या किश्तों में जो बारह से अधिक नहीं होगी वसूल किया जाएगा जैसाकि अग्रिम मंजूर करने वाले प्राधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया हो, ऐसी मंजूरी के लिए विनियम 13 के उप विनियम (2) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित हैं ।

परन्तु ऐसे अग्रिम को अस्वीकार करने के पूर्व अभिदाता को मंजूरी दाता प्राधिकारी को लिखित रूप से पुनर्भुगतान न होने का कारण स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए और यदि अभिदाता कथित पन्द्रह दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है तो इस पर निर्णय के लिए अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा और यदि उसके द्वारा उक्त अवधि के अन्दर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो इस उप विनियम में निर्धारित तरीके से अग्रिम का पुनर्भुगतान लागू किया जाएगा ।

4 इस विनियम के अधीन वसूलियों को निधि में अभिदाता के लेखे में जमा किया जाएगा

15. अग्रिम का अनुचित प्रयोग :

इन विनियमों में अन्य बातों के न रहते हुए यदि मंजूरी दाता प्राधिकारी को इस कारण पर शक है कि विनियम 13 के अधीन निधि से निकाली गयी अग्रिम राशि जिसके लिए मंजूर की गई को छोड़कर अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग की गई है, वह अपने शक के लिए अभिदाता को सूचित करेगा और अभिदाता को ऐसी सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर यह स्पष्ट करने को कहेगा कि क्या निकाली गयी राशि जिसके लिए मंजूरी दी गई उस उद्देश्य के लिए उपयोग की गई । यदि मंजूरी दाता प्राधिकारी अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिनों की कथित अवधि के अन्दर प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है तो मंजूरी दाता प्राधिकारी अभिदाता को तुरन्त रकम निधि को पुनर्भुगतान करने के लिए निदेश देगा या चूकने पर अंशदाता के परिलब्धियों से एक मुश्त में कटौती के द्वारा वसूली के लिए आदेश देगा यद्यपि वह छुट्टी पर रहता हो । यदि पुनर्भुगतान की जाने वाली कुल राशि अंशदाता के परिलब्धियों से आधे से अधिक होती है तो उसके परिलब्धियों के आधे आधे भागों के मासिक किश्तों में वसूली की जाएगी जब तक कि उसके द्वारा संपूर्ण राशि का पुनर्भुगतान कर दिया गया हो ।

नोट :—विनियम में "परिलब्धियों" के अर्थ में निर्वाह अनुदान शामिल नहीं होता है ।

16. निधि से निकासी :—

(1) उनमें उल्लिखित शर्तों के रहते, विनियम 13 के उपविनियम (2) के अधीन किसी भी समय विशेष कारणों

के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निकासी की मंजूरी दी जा सकती है।

क. अंशदाता के बीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद (सेवा की भंग अवधि सहित, यदि कोई) या निवर्तन पर उसके सेवा निवृत्त होने के तारीख से पूर्व दस वर्षों के अन्दर जो कोई भी पहले हो, निधि में उसके जमा में रही राशि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए एक या अधिक बार जैसे।

(क) निम्नलिखित मामलों में अंशदाता या अंशदाता के किसी बच्चे के यात्रा व्यय, जहां आवश्यक हो सहित उच्च शिक्षा के खर्च को वहन करने के लिए जैसे :

1. हाई स्कूल स्तर से ऊपर शैक्षणिक, तकनीकी प्रोफेशनल या वोकेशनल पाठ्यक्रम के शिक्षा के लिए भारत के बाहर।

11. हाई स्कूल स्तर से ऊपर भारत में किसी मेडिकल, इंजीनियरी या तकनीकी या विशेषज्ञी पाठ्यक्रम के लिए।

(ख) अभिदाता के या उसके पुत्रों या पुत्रियों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित महिला रिश्तेदारों के सगाई/विवाह संबंधी खर्च को वहन करने के लिए।

(ग) अभिदाता या उसके परिवार के सदस्य या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा व्यय जहां आवश्यक हो सहित बीमारी के संबंध में व्यय का वहन।

(ख) अभिदाता के बीस वर्षों की सेवा पूर्ण करने के बाद (सेवा की भंग अवधि सहित यदि कोई) या निवर्तन पर उसके सेवा निवृत्त होने के तारीख से दस वर्षों के अन्दर जो कोई भी पहले हो, निधि में उसके जमा में रही राशि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए एक या अधिक बार जैसे :

(क) समुचित घर का निर्माण या अर्जन या उसके आवास के लिए निर्मित फ्लैट साइट के मूल्य सहित।

(ख) समुचित घर के निर्माण या अर्जन के लिए या उसके आवास के लिए निर्मित फ्लैट के लिए एक्सप्रेसली लिये ऋण की बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए।

(ग) उसके आवास के लिए घर का निर्माण करने के लिए हाउस साइट की खरीद या इस प्रयोजन के लिए गये ऋण की बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए।

(घ) अभिदाता के द्वारा अर्जित या स्वामित्व में रहे प्लाट या घर के पुनःनिर्माण या परिशोधन या परिवर्तन के लिए।

(च) कार्य के स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर पैत्रिक घर का नवरूपण, परिशोधन या परिवर्तन या रख-रखाव या कार्य के स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर सरकार की ऋण की सहायता से घर का निर्माण करना।

(छ) खण्ड (ग) के अधीन खरीदे गये साइट पर घर का निर्माण।

(ग) अभिदाता के सेवा निवृत्त होने की तारीख से छह महीनों के अन्दर निधि में उसके जमा में रहे फार्म भूमि या व्यापारिक परिसर का, दोनों के अर्जन के लिए।

नोट : 1—अभिदाता जोकि स्वयं पारादीप पत्तन न्यास गृह निर्माण योजना के अधीन गृह निर्माण प्रयोजन के लिए ऋण लिये जाने या किसी अन्य सरकारी साधन से इस संबंध में सहायता लिये जाने पर भी इस विनियम के खंड (ख) के उपखंड (क) (ख), (ग) और (घ) के अधीन उसमें उल्लिखित प्रयोजनों के लिए और उपर्युक्त योजना के अधीन लिये गये पुनर्भुगतान के लिए विनियम 17 के उप विनियम (17) के परन्तुक में उल्लिखित सीमा तक अंतिम निकासी की मंजूरी के लिए पात्र हो सकता है।

यदि अभिदाता का अपने कार्य के स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर पैतृक घर है या बोर्ड से ऋण की सहायता लेते हुए घर का निर्माण करता है तो वह अपने कार्य के स्थान पर निर्मित फ्लैट के अर्जन के लिए या अन्य घर के निर्माण के लिए या हाउस साइट के खरीद के लिए खंड (ख) के उपखंड (क), (ख) और (घ) के अधीन अंतिम निकासी की मंजूरी के लिए पात्र होगा।

नोट 2. खंड (ख) के उपखंड (क), (ख), (घ), (छ) के अधीन अभिदाता द्वारा निर्माण किये जाने वाले घर का प्लान अधीन अभिदाता द्वारा निर्माण किये जाने वाले घर का प्लान प्रस्तुत करने पर या परिशोधन या परिवर्तन करने के लिए जोकि उस इलाके के जहां साइट या घर स्थित है, के स्थानीय नगर पालिका इकाई के द्वारा विधिवत् अनुमोदन होने पर और जहां प्लान का वास्तविक रूप से अनुमोदन दिया जाना है पर ही मंजूरी दी जाएगी।

नोट 3. खंड (ख) के उपखंड (ख) के अधीन मंजूर की गई निकासी की राशि उप खंड (क) के अधीन मंजूर की गई निकासी की राशि उपखंड (क) के अधीन पिछली निकासी की राशि घटने के द्वारा पिछली निकासी की राशि के साथ आवेदन की तारीख पर शेष से 3/4 से अधिक नहीं होगी। अपनाई जाने वाली फार्मूला (उस तारीख पर शे। +(प्लस) घर के मामले में लिए पिछली निकासी राशि का 3/4 माइनस पिछली निकासी की राशि।

नोट 4. खंड (ख) के उपखंड (क) या (घ) के अधीन निकासी स्वीकार की जाएगी तब हाउस साइट या घर पत्नी या पति के नाम पर हो परन्तु वह अभिदाता के द्वारा किये गये नामांकन में भविष्य निधि रकम को प्राप्त करने के लिए प्रथम नामिति होगी या होगा।

नोट 5. इस विनियम के अधीन केवल एक ही निकासी स्वीकार्य होगी। परन्तु विवाह या विभिन्न कार्यों

के लिए शिक्षा या विभिन्न अवसरों पर बीमारी या घर के आगे के परिशोधन या परिवर्तन या नये प्लान के अधीन फ्लैट जोकि इस इलाके के स्थानीय नगर पालिका इकाई के द्वारा विधिवत अनुमोदित या फ्लैट है को उसी प्रयोजन के लिए नहीं माना जाएगा। उसी घर को पूर्ण करने के लिए खंड (ख) के उपखंड (क) या (छ) के अधीन दूसरी या बाद की निकासी नोट 3 के अधीन निर्धारित सीमा तक स्वीकार्य होगी।

नोट 6. इस विनियम के अन्तर्गत निकासी स्वीकार्य नहीं होगी यदि विनियम 13 के अधीन उसी प्रयोजन के लिए और उसी समय मंजूरी दी जाती है।

नोट 7. विनियम 16 के उप विनियम (1) के खंड (क) के उप खंड (क) के अधीन अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए निकासी विनियम 13 के नोट (5) के अधीन जैसाकि निर्धारित हैं के अनुसार सकते दिये जा सकते हैं ।

17. निकासी के लिए शर्तें:—

1. अभिदाता द्वारा विनियम 16 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए किसी एक समय के लिए एक या अधिक बार निधि में उसके जमा पर रहे रकम से निकाली गयी राशि ऐसे राशि के आधे से या छह माह के वेतन से अधिक नहीं होगी, जो कोई भी कम हो। लेकिन मंजूरी दाता प्राधिकारी निधि में उसके जमा में रहे शेष के 3/4 सीमा से अधिक निकासी के लिए (1) उद्देश्य जिसके लिए निकासी की जा रही है (2) अभिदाता की प्रतिष्ठा (3) निधि में उसकी जमा की राशि को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दे सकता है।

2. विनियम 16 के अधीन अभिदाता को जिसे राशि की निकासी के लिए अनुमति दी गयी है मंजूरी दाता प्राधिकारी को समुचित अवधि के अन्दर जैसाकि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई हो संतुष्ट करना होगा कि जिस प्रयोजन के लिए इसे निकाला गया उसे उपयोग किया और यदि ऐसा करने से चूकता है तो ऐसी निकाली गयी पूर्ण राशि या इतनी जोकि इस प्रयोजन के लिए आवेदन दिया गया और निकाले गए रकम को अभिदाता के द्वारा तुरन्त निधि में एक मुश्त में पुनर्भुगतान करना होगा। ऐसे भुगतान करने में चूकने पर मंजूरी दाता प्राधिकारी के द्वारा उसके परिलब्धियों से एक मुश्त में या कुछ मासिक किश्तों पर वसूल करने के लिए आदेश दिया जाएगा जैसाकि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया गया हो।

परन्तु इस उपविनियम के अधीन निकासी की पुनर्भुगतान लागू करने के पूर्व अभिदाता को लिखित रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए अवसर दिया जाएगा और सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर पुनर्भुगतान न लागू किये जाने के स्पष्टीकरण से यदि मंजूरी दाता प्राधिकारी संतुष्ट नहीं होता है या अभिदाता के द्वारा कथित पन्द्रह दिनों के अवधि के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किया जाता है तो मंजूरी दाता प्राधिकारी इस उप विनियम में निर्धारित प्रकार से पुनर्भुगतान लागू करेगा।

3. अभिदाता जिसे विनियम 16 के उप विनियम (1) के खंड (ख) के उपखंड (क), (ख) और (ग) के अधीन निधि में उसके जमा में रहे राशि को निकालने लिए अनुमति दी गई हो तो निर्मित घर के अधिकार या अर्जित या विक्रय, बन्धक (बोर्ड को बन्धक को छोड़कर) या भेंट से अध्यक्ष के पूर्व अनुमति के बिना अलग नहीं होगा। वह ऐसे घर या हाउस साइट से अदल-बदल या तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे से अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना अलग नही होगा। अभिदाता प्रतिवर्ष दिसम्बर के 31वें दिन के पूर्व घोषणा प्रस्तुत करेगा, इस बारे में कि घर या हाउस साइट, मामला जैसा भी हो, उसके अधिकार में रहा है या बन्धक या हस्तांतरित हुआ है, यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख पर मूल बैनामा और अन्य दस्तावेज जिस पर उसका संपत्ति पर हक आधारित है प्रस्तुत करेगा।

4. यदि अभिदाता किसी भी समय उसकी सेवा निवृत्ति के पूर्व अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना घर या हाउस साइट से अधिकार से अलग होता है तो उसके द्वारा निकाली गयी राशि का पुनर्भुगतान निधि को एक मुश्त में करना होगा और ऐसे पुनर्भुगतान से चूकने पर मंजूरी दाता प्राधिकारी के द्वारा उसके परिलब्धियों से या तो एक मुस्त में या मासिक किश्तों की ऐसी संख्या में वसूल करने के लिए आदेश दिया जाएगा जैसाकि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया गया है।

नोट :

1. एक ही प्रयोजन के लिए अग्रिम और अंतिम निकासी की एक साथ मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। अन्य शब्दों में, विनियम 16 में उल्लिखित शर्तों पर एक व्यक्ति को अग्रिम या किसी विशेष प्रयोजन के लिए या तो अग्रिम या अग्रिम निकासी की मंजूरी दी जानी चाहिए। आगे, अग्रिम जो बाद में अंतिम निकासी में परिवर्तित की जाती है, उसे विनियम 16 के अधीन अंतिम निकासी माना जाना चाहिए। कहने का अर्थ, यदि व्यक्ति विनियम 18 के अन्तर्गत अग्रिम को अंतिम निकासी में परिवर्तित करता है तो उसे विनियम 16 के अधीन इसी प्रयोजन के लिए दूसरी अग्रिम निकासी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सिद्धान्त विनियम 13(ख) के अधीन अग्रिम पर भी लागू होगा।

2. अभिदाता को विवाह और सगाई समारोह दोनों अवसरों पर अंतिम निकासी के लिए अनुमति दी जाएगी। इन विशिष्टियों के विनियम 17(1) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अवसर अलग अलग माने जाएंगे। यह सिद्धान्त

विनियम 13(1) के खंड (ग) के अधीन विवाहों के लिए अग्रिमों पर लागू होगा।

3. अभिदाता को किसी भी स्थान पर गृह निर्माण प्रयोजन के लिए दूसरी निकासी की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए यदि उसे उसी स्थान पर या अन्य स्थान पर इस तरह के प्रयोजन के लिए अंतिम निकासी के लिए दी गई हो। अन्य शब्दों में, एक घर से अधिक के लिए अंतिम निकासी की मंजूरी नहीं देनी चाहिए :

4. अध्यक्ष के द्वारा अभिदाता के जमा में रही राशि का 90 प्रतिशत तक अंतिम निकासी की मंजूरी दी जाएगी।

18. अग्रिम का निकासी में परिवर्तन

अभिदाता विनियम 16 के उप विनियम (1) में उल्लिखित किसी भी प्रयोजनों के लिए विनियम 13 के अधीन अग्रिम ले चुका हो या भविष्य में लेने वाला हो तो अपने विवेक से मंजूरी दाता प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित अनुरोध के द्वारा प्रत्येक के बकाये शेष को विनियम 16, 37 में निर्धारित शर्तों को उसके द्वारा पूरा करने पर अंतिम निकासी में परिवर्तन कर सकता है।

नोट :

1. जब अग्रिम की निकासी में परिवर्तन की अनुमति देते समय विनियम (1) में परिसीमा को लागू करने के प्रयोजन के लिए जमा शेष की गणन पद्धति निम्न प्रकार से होगी :

(1) इन विनियमों के विनियम 18 के अधीन अग्रिम का अंतिम निकासी में परिवर्तन के लिए विनियम 16(1) इबिद के प्रयोजन के लिए शेष को रकम अंशदान के रूप में लिया जाना चाहिए। उस पर परिवर्तन के समय लेखे में अंशदाता के जमा में रहे ब्याज प्लस अग्रिम की बकाया राशि।

(2) इन विनियमों के अधीन प्रत्येक निकासी को अलग अलग माना जाना चाहिए और इसलिए एक से अधिक परिवर्तन में वही सिद्धान्त लागू होगा याने कि प्रत्येक मामले में शेष पर विचार करते हुए विनियम 17(1) के अधीन सीमा लागू होगी।

2. यदि अभिदाता इच्छुक हो तो दूसरी अग्रिम की निकासी में परिवर्तन की जाने वाली कुल राशि विनियम 17 में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां एक ही प्रयोजन के लिए विभिन्न अवसरों में एक से अधिक लिये गये अग्रिमों को अंतिम निकासी में प्रत्येक और अलग अलग परिवर्तन करने के लिए अनुमति दी जा सकती है। मंजूरी दाता प्राधिकारी को लेखा अधिकारी को आवेदन अग्रेषित करते समय उसमें उस तारीख तक परिवर्तन की जाने वाली कुल राशि का उल्लेख करना चाहिए।

19. निधि में संचयन से अंतिम निकासी :

1. जब अभिदाता सेवा छोड़ देता है तो निधि में उसके जमा में रही राशि उसे भुगतान योग्य होती है।

2. परन्तु अभिदाता जो कि नौकरी से निकाला गया हो और बाद में नौकरी में बहाल किया जाता है और बोर्ड के द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो तो वह इस विनियम के अनुसार निधि से उसे भुगतान की गई राशि पर विनियम 20 के परन्तुक में की गई व्यवस्था और विनियम 12 में की गई दर की व्यवस्था के अनुसार ब्याज सहित पुर्नभुगतान करना होगा। ऐसी पुनर्भुगतान की गई राशि को निधि में उसके लेखे में जमा की जाएगी।

स्पष्टीकरण :

1. अभिदाता जिसे अस्वीकार्य छुट्टी की मंजूरी दी गई उसे अनिवार्य सेवानिवृत्त की तारीख या बढ़ाई गयी सेवावधि समाप्त होने पर नौकरी छोड़ देना माना जाएगा।

स्पष्टीकरण : II

अभिदाता जोकि ठेके पर नियुक्त किया गया या जो सेवा से निवृत्त हुआ, सेवा भंग के बिना या सहित पुनः नियुक्त किया गया को छोड़कर सेवा को नहीं छोड़ना समझा जाएगा जब उसे किसी अन्य महापत्तन प्राधिकरण के अधीन (जिसमें वह अन्य भविष्य निधि विनियमन के अधीन रहता है) बिना किसी सेवा भंग के उसके पूर्व पद के साथ बिना कोई संबंध रखते हुए स्थानांतरित किया जाता है। ऐसे मामले में उसका अंशदान उस पर ब्याज सहित अन्य निधि के लेखे में उस निधि के नियमों के अनुसार अन्तरित किया जाएगा। छंटनी के बाद बोर्ड या किसी अन्य महापत्तन प्राधिकार के अधीन तुरन्त नियुक्ति के मामले में भी वैसा ही होगा।

स्पष्टीकरण III

जब अभिदाता जोकि ठेके पर नियुक्त है या सेवा से निवृत्त है और बाद में पुनः नियुक्त होता है और सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व में रहने वाली इकाई, निगम या स्वायत्त संस्था जोकि सोसाइटीज पंजीयन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत है में बिना सेवा भंग के स्थानांतरित किया जाता है तो अंशदान की राशि उस पर ब्याज सहित उसे भुगतान नहीं किया जाएगा परन्तु इकाई की सम्मति से इकाई के अधीन नये भविष्य निधि लेखे को अंतरित किया जाएगा।

बोर्ड के समुचित अनुमति सहित और बिना भंग के सोसाइटीज पंजीयन अधिनियम 1860 के अधीन पजीकृत सस्था या सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व में रहने वाली इकाई, निगम के अधीन नौकरी करने के लिए सेवा से इस्तीफे के मामले, स्थानातरण में शामिल हैं। नये पद को लिये गये समय को सेवा भंग नहीं माना

जाएगा यदि वह कार्यग्रहण समय से अधिक नहीं होता है जोकि कर्मचारी को एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के लिए स्वीकार्य है ।

परन्तु अभिदाता के सार्वजनिक उद्यम में नौकरी के लिए चुनने पर अशदान और उस पर ब्याज सहित यदि वह इच्छा करता हो तो उद्यम के अधीन नये भविष्य निधि लेखे में अंतरित किया जाएगा यदि संबंधित उद्यम भी ऐसे अन्तरण के लिए सहमत होती हो। लेकिन यदि अभिदाता अन्तरण के लिए इच्छुक न हो या उद्यम भविष्य निधि का परिचालन न करती हो तो ऊपर कथित राशि अभिदाता को वापस कर दी जाएगी।

2. अभिदाता के सेवा निवृत्ति के समय उसके सामान्य भविष्य निधि के संचयन से या अभिदाता के सेवा में रहने पर, मृत्यु पर या सेवा निवृत्ति के बाद अभिदाता के नामिति को भुगतानयोग्य अवितरित सा. भा. नि. संचयन से मामला जैसा भी हो, बोर्ड को देय राशि की वसूली नहीं की जाएगी। यद्यपि अभिदाता की नामिती की सहमति ली गई हो। जब अभिदाता या नामिति बोर्ड को देय राशि का पुनर्भुगतान करना चाहता हो तो इसे दूसरा लेनदेन समझा जाएगा। पहले सपूर्ण राशि को बिना किसी अनिवार्यता के भुगतान किया जाएगा उसके बाद आवाता को बोर्ड के देय को चुकाने के लिए कहा जाएगा।

3. कर्मचारी के द्वारा दुर्विनियोग किये गये किसी भी भाग को उसके सा. भा. नि. के रकम से वसूल नहीं किया जाएगा।

4. बर्खास्तगी पर बर्खास्तगी के विरुद्ध किसी भी अपील का हवाला न देते हुए अंतिम भुगतान किया जाना है। यदि बर्खास्तगी के विरुद्ध अपील का तथ्य ध्यान में आता है तो भुगतान में विलम्ब की आवश्यकता नहीं है यदि उसके लिए अभिदाता आवेदन देता हो। बशर्ते कि विनियम 19 के उपविनियम (1) के अधीन परन्तुक में उल्लिखित ब्याज सहित राशि के पुनर्भुगतान के लिए अभिदाता को ध्यान दिलाया गया हो।

20. अभिदाता की सेवा निवृत्ति

जब अभिदाता सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर हो या बोर्ड के शिक्षा संस्थाओं में नियुक्त हो या अवकाश सहित सेवा निवृत्तिपूर्व छुट्टी पर हो या

ख. छुट्टी पर रहने पर निवृत्त होने के लिए अनुमति दी गई हो या सक्षम चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो।

निधि में उसके जमा में राशि अभिदाता को भुगतान योग्य होगी जब उसके लिए उसके द्वारा लेखा अधिकारी को आवेदन दिया जाएगा :

परन्तु अभिदाता जब कार्य पर वापस आता है तो बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्णय करने पर इस विनियम के अनुसार निधि से उसे भुगतान की गई राशि और उस पर विनियम 12 में की गई व्यवस्था की दर पर ब्याज सहित नकद में या प्रतिभूतियों में नगद आंशिक रूप से या आंशिक रूप से प्रतिभूतियों में या किश्तों द्वारा या अन्यथा या उसके परिलब्धियों से वसूली के द्वारा या अन्यथा निधि में उसके लेखे के जमा में पुनर्भुगतान करना होगा जैसा कि अग्रिम को मंजूर करने वाले अधिकारी द्वारा निदेश दिया गया हो और जिसकी स्वीकृति के लिए विनियम 13 के उपविनियम (2) के अधीन विशिष्ट कारण अपेक्षित हैं।

21. अभिदाता के मृत्यु पर प्रक्रिया

अभिदाता के जमा में रही राशि भुगतानयोग्य होने के पूर्व उसकी मृत्यु पर या राशि भुगतान योग्य होने के पूर्व भुगतान की गई हो

(1) जब अभिदाता परिवार को छोड़ता हो ।

क. यदि विनियम 6 के व्यवस्थाओं के अनुसार अभिदाता के द्वारा नामांकन किया गया हो या उसके जीवित परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में

ख. यदि अभिदाता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा नामांकन नहीं होता है या ऐसे नामांकन का संबंध निधि में जमा रही राशि के एक भाग के लिए हो। तो पूर्ण रकम या उसके भाग जिसका नामांकन से संबंध नहीं है मामला जैसा भी हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन के आशय के बावजूद भी उसके परिवार के सदस्यों को बराबर हिस्सों में भुगतानयोग्य होगा।

परन्तु हिस्से का भुगतान नहीं होगा :

(1) पुत्र जो कि वयस्क हो चुके हैं।

(2) मृत पुत्र के पुत्र जो वयस्क हो चुके हैं।

(3) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं।

(4) मृत पुत्र के पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं।

खंड (1) (2) (3) और (4) में निर्धारित के अलावा यदि परिवार के कोई अन्य सदस्य हों।

परन्तु मृत पुत्र के विधवा या विधवाओं और पुत्र का बच्चा या उनके मध्य समान भागों में वही अंश को प्राप्त करेंगे जोकि वह पुत्र प्राप्त किया होता यदि वह अंशदाता के बाद भी जीवित होता और प्रथम परन्तुक के खंड (1) के प्रावधानों से छूट प्राप्त किया हो।

(2) जब अंशदाता का कोई परिवार न हो और यदि विनियम 6 के प्रावधानों या अब तक तदनुरूप विनियम के अनुसार जीवित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन करता है तो निधि में उसके जमा में रही राशि

या उसका कुछ भाग जिससे नामांकन का संबंध है उसके नामिती को या नामितियों को नामांकन में निर्धारित अनुमान में भुगतान योग्य होती है

(1) सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान से बोर्ड को देय की वसूली नहीं होगी। विनियम 19 उप विनियम (2) देखिए।

(2) 5000 रु. तक भविष्य निधि राशि का भुगतान (या प्रथम 5000 रु. भुगतान की जाने वाली राशि, 5000 रु. से अधिक होती है) नाबालिगों की ओर से उसके/उनके वास्तविक अभिभावक या जहां वास्तविक अभिभावक नहीं हैं तो अध्यक्ष, पारादीप पत्तन न्यास द्वारा नाबालिग/नाबालिगों की ओर से रकम प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति का विचार किया जाएगा उसे अभिभावक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

नाबालिकों की ओर से भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दो जामीनों के द्वारा किसी बाद के दावे पर बोर्ड की क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होते हुए हस्ताक्षरित बन्धपत्र कार्यकारी करना होगा। 5000 रु. से अधिक शेष को यदि कोई हो तो, उसे सामान्य विनियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

(3) ऐसे मामलों में जहां वास्तविक अभिभावक हिन्दू विधवा/हिन्दू विधुर हैं तो भविष्य निधि राशि का उसके नाबालिग बच्चों की ओर से अध्यक्ष पारादीप पत्तन न्यास के अनुमोदन से बिना अभिभावक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए या जब तक ठोस सबूत हो कि उन नाबालिक बच्चों के लिए माता/पिता के हित विपरीत हैं, भुगतान किया जा सकता है।

(4) नाबालिकों की ओर से भविष्य निधि राशि के वितरण के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्र का प्रपत्र—क्षतिपूर्ति बन्धपत्र को किसी भी टिकाऊ सादे कागज पर कार्यकारी किया जा सकता है और यह इन विनियमों के संलग्न फार्म III में होना चाहिए।

(5) यदि अंशदाता के मरणोपरान्त बच्चे का जन्म होता है तो उसे अंशदाता के मृत्यु के पूर्व जन्म लिये गये और जीवित रहे बच्चे के रूप में उसको परिवार का सदस्य माना जाएगा। यदि मरणोपरान्त बच्चे की रहने की (एन वेन्ट्रे डि सा मेरे) सूचना सविवरण अधिकारी को मिलती है तो उसके जिन्दा जन्म होने पर बच्चे को देय राशि रख ली जाएगी और शेष को सामान्य रूप से वितरित किया जाएगा। यदि बच्चा जिन्दा जन्म होता है राशि के भुगतान को जैसा कि नाबालिक बच्चे के मामले में किया जाता है या लिया जाना चाहिए। परन्तु यदि बच्चा जन्म नहीं लेता है या मृत बच्चा होना है तो रखी गयी राशि का वितरण सामान्य विनियमों के अनुसार करना चाहिए।

(6) हिन्दू कानून के अन्तर्गत सौतेली मां अपने सौतेले पुत्र की वास्तविक अभिभावक नहीं है और इस मामले में न्यायालय का आदेश आवश्यक होगा।

(7) यदि विधि प्रतिनिधि की पहचान संदेह से परे है स्थापित की जा सकती है तो अध्यक्ष के अनुमोदन पर बिना वसीयत नामे, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र के स्तुति के बिना विधि प्रतिनिधि को भुगतान किया जा सकता है, मामला जैसा भी हो यदि पहचान स्थापित करने में कोई कठिनाई होती है और किसी भी हालत में जब वसीयत नामा, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेयान या उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो मामले को बोर्ड के पास भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

22. निधि में राशि के भुगतान की पद्धति :

(1) जब निधि में अंशदाता के जमा में राशि भुगतान योग्य होती है, यह लेखा अधिकारी का कर्तव्य होगा कि उप विनियम (3) में की गई व्यवस्था के अनुसार इस संबंध में लिखित आवेदन प्राप्त होने पर भुगतान करे।

(2) इन विनियमों के अधीन यदि किसी व्यक्ति को जिसे कोई राशि या पॉलिसी का भुगतान किया जाता है या निर्धारण या पुनर्निर्धारण या सुपुर्द किया जाता है, लुनाटिक है और उसके संपत्ति के लिए इंडियन लुनासी एक्ट 1912 के अधीन प्रबंधक की नियुक्ति की गई हो तो भुगतान या पुनर्निर्धारण या सुपुर्दगी लुनाटिक को न कर ऐसे प्रबंध को की जाएगी।

परन्तु जहां प्रबंधक की नियुक्ति नहीं की गई हो और व्यक्ति जिसे राशि भुगतान योग्य है, उसके लुनाटिक होने का प्रमाण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। और इंडियन लुनाटिक एक्ट 1912 की धारा 95 की उपधारा (1) के शर्तों के अनुसार कलेक्टर के आदेशों के अधीन उस व्यक्ति को जो ऐसे लुनाटिक का भार लिया हुआ है भुगतान किया जाएगा और लेखा अधिकारी उसी राशि का भुगतान करेगा जोकि लुनाटिक के भार को लिये हुए व्यक्ति को भुगतान करने के लिए उचित समझता हो और कोई अधिशेष या ऐसे उसके किसी भाग का उचित समझता हो तो लुनाटिक के परिवार के सदस्यों के निर्वाह के लिए भुगतान करेगा जोकि निर्वाह के लिए उस पर आश्रित हों।

(3) निकाली गई राशि का भुगतान भारत में ही किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को रकम भुगतान योग्य हैं वे भारत में रकम को प्राप्त करने के लिए स्वयं व्यवस्था करेंगे।

1. अंशदाता को निधि से राशि निकालने में समर्थ होने के लिए कार्यालय का प्रधान प्रत्येक अंशदाता को यातो निवर्तन की आयु प्राप्त करने की तिथि के एक वर्ष पहले या यदि शीघ्र हो तो उसके प्रत्याशित निवृत्ति के तारीख के पूर्व आवश्यक फार्म भेजेगा, इन निदेशों के सहित कि उन्हें विधिवत पूर्ण कर अंशदाता के द्वारा फार्मों को प्राप्त करने की तिथि से एक महीने के अन्दर वापस

कर दिया जाना चाहिए। अंशदाता निधि से राशि के भुगतान के लिए कार्यालय के प्रधान या विभागाध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को आवेदन देगा।

(क) निधि में उसके जमा में राशि के लिए जैसाकि उसके निवर्तन तिथि या उसके प्रत्याशित निवृत्ति की तिथि के पूर्व लेखा विवरण में उल्लिखित है।

या

(ख) उसके सहायक बही लेखे में उल्लिखित राशि यदि अंशदाता के द्वारा लेखा विवरण प्राप्त न किया गया हो।

(2) विभाग/कार्यालय का प्रधान अग्रिमों के विरुद्ध की गई वसूलियों का जोकि अभी की जा रही हैं और वसूल किये जाने वाले किश्तों की उल्लेख करते हुए लेखा अधिकारी को आवेदन अग्रेषित करेगा और लेखा अधिकारी के द्वारा भेजे गये अंशदाता के लेखे के अंतिम विवरण के बाद अंशदाता के निकासियों का यदि कोई हों तो उसका भी उल्लेख करेगा।

(3) लेखा अधिकारी सहायक बही लेखा के साथ सत्यापन कर लेने के बाद आवेदन में उल्लिखित राशि के लिए सहमति निर्वतन की तिथि के एक माह पूर्व देगा परन्तु निर्वतन की तिथि पर भुगतान योग्य होगा।

23. कर्मचारी की एक महापत्तन से अन्य महापत्तन में स्थानांतरण होने पर क्रियाविधि :

यदि कोई कर्मचारी निधि को अंशदान करता है और स्थाई रूप से किसी अन्य महापत्तन में पेंशनयोग्य सेवा में स्थानांतरित होता है है जोकि इन विनियमों की तरह नियमों के अधीन है तो उसके स्थानांतरित तिथि पर उसके जमा में रहे अंशदान की राशि ब्याज सहित उस महापत्तन के जमा में अंतरित किया जाएगा।

24. प्रत्येक मामले में विनियमों के उपबंधों में छूट :

जब कोई संतुष्ट होती है कि विनियमों के परिचालन से अंशदाता को कोई कठिनाई होती है या होने वाली है। बोर्ड इन विनियमों में किसी बात के रहते हुए भी ऐसे अंशदाता के मामले में इस प्रकार व्यवहार करेगी कि वह उपयुक्त और साम्यिक हो।

नोट : अंशदाता को भविष्य निधि का भुगतान उसके सेवानिवृत्तिपूर्व छुट्टी पर जाने के पूर्व या विनियम 24 के अधीन छूट में भी वास्तविक रूप से निवत्ति होने पर नहीं किया जाएगा।

25. अंशदान के भुगतान के समय लेखा संख्या दर्शाया जाना :

जब भारत में अंशदान का भुगतान यातो परिलब्धियों में कटौती से या नकद में किया जाता है तो अंशदाता को निधि में उसके लेखे की संख्या को दर्शाना होगा जोकि लेखा अधिकारी के द्वारा उसे सूचित किया जाएगा। संख्या में परिवर्तन की सूचना उसी प्रकार लेखा अधिकारी के द्वारा अंशदाता को दी जाएगी।

26. अंशदाता को लेखों की वार्षिक विवरणी की सप्लाई :

1. प्रत्येक वर्ष के अन्त में यथा संभव शीघ्र लेखा अधिकारी प्रत्येक अंशदाता को निधि में उसके लेखे का विवरण वर्ष के 1 अप्रैल को आदिशेष और वर्ष के अन्तर्गत कुल जमा और नामे की राशि और वर्ष के 31 मार्च को जमा की गई ब्याज की राशि तथा उस तिथि पर अंत शेष दिखाते हुए भेजेगा। लेखा अधिकारी लेखा विवरण के साथ यह पूछताछ संलग्न करेगा कि क्या अंशदाता :

(क) विनियम 6 के अधीन या अब तक लागू तदनुरूप नियम के अधीन किसी नामांकन में परिवर्तन करने का इच्छुक है।

(ख) अंशदाता का परिवार हो और ऐसे मामलों में जहां अंशदाता विनियम 6 के उप विनियम (1) के परन्तुक के अधीन अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में नामांकन न किया हो।

नोट 1 : लेखा अधिकारी से लेखे का वार्षिक विवरण प्राप्त करने पर कार्यालय का प्रधान संबंधित अंशदाताओं को तुरन्त वितरित करेगा और उनसे शेषों की स्वीकृति प्राप्त करेगा।

नोट 2 : यदि अंशदाता के द्वारा पता लगाया जाता है कि वार्षिक लेखा विवरण के उसके जमा में दर्शाया गया शेष उसके द्वारा वास्तविक रूप से दिये गये/निकाले गये से कम है या अन्यथा गलत है जो उसे तत्काल अपने कार्यालय के प्रधान को अभ्यावेदन देना चाहिए। अभ्यावेदन को संबंधित लेखा अधिकारी को अग्रेषित करते समय कार्यालय के प्रधान को उस पर वर्ष के अंतर्गत अंशदाता के वेतन से वसूल किये गये अंशदानों का माहवारी ब्यौरा या बिलों के विवरण सहित निकासियों जिसमें वसूली/निकासी की गई का उल्लेख करते हुए प्रमाण पत्र देना होगा।

नोट 3 : तब लेखा अधिकारी तत्काल चुके हुए जमा/नामे का पता लगाने के लिए कार्रवाई करेगा और उन्हें अंशदाता के लेखे में बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार समायोजन करेगा और अंशदाता तथा कार्यालय के प्रधान को आवश्यक सूचना भेजेगा।

27. निर्वचन :

इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो इसे बोर्ड के पास भेजा जाएगा और उस पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

[फा. सं. पी. आर.-12016/6/90-पी ई-I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

कृपया फार्म भरने के पूर्व पिछली ओर छपे गये अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें ।

माह के लिए अनिवार्य अंशदाताओं के भविष्य निधि लेखा संख्याओं के आवंटन के लिए विवरण की तालिका

वेतन और भत्तों को नामें में डाले जाने वाला लेखा शीर्ष

निधि का नाम सा. भ. नि.

क्र सं	पत्तन न्यास कर्मचारी का नाम (अंशदाता)	अंशदाता के पिता/पति का नाम	अंशदाता की जन्मतिथि	नौकरी में प्रवेश करने की तिथि	पदनाम	परि-लब्धियां	अंशदाता का मासिक दर (पूर्ण रुपयों में)	अंशदाता प्रारंभ कार्य का माह	अभ्युक्ति	लेखन, आबंटित वित्त और लेखा विभागों द्वारा भरा जाता है ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सं.....दिनांक.....

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी पारादीप पत्तन न्यास को दो प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया । कर्मचारी जिनके नाम उनके विवरणों में शामिल किये गये हैं, उन्हें पारादीप पत्तन न्यास (सा.भा.नि.) नियम 1989 के नियम के अधीन सामान्य भविष्य निधि में शामिल होना अपेक्षित है। पिछले विवरणों में इसके नाम शामिल नहीं किये गये हैं और सामान्य भविष्य निधि के सदस्य लिए गये हैं (अभ्युक्ति कालम में उल्लिखित के अनुसार नामांकन संलग्न हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि सभी कर्मचारी जिनके नाम ऊपर दिये गए हैं संबंधित नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि को अंशदान करने के लिए योग्य हैं ।

(कार्यालय के प्रधान).....

सं.....दिनांक.....

.....को वापस किया गया। अभिदाताओं को आबंटित लेखा संख्या सूचित किया जाए और सेवापंजी, नामांकनों और अन्य सरकारी अभिलेखों में नोट किया जाए । किसी अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि से संबंधित पत्राचार में लेखा संख्या दी जाए । क्रम.....पर नामांकनों को प्राप्त किया गया ।

लेखा अधिकारी
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
का कार्यालय;
पारादीप पत्तन न्यास

विवरण पूर्ण करने के लिए निदेश

(क) इस फार्म का प्रयोग उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जह निधि के लिए अभिदान अनिवार्य है।

(ख) विवरण दो प्रतियों में भेजा जाना चाहिए ।

इससे स्थायी पत्तन कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए जो कि पिछले महीने सेवा ग्रहण किये हैं और जिन्हें पत्तन न्यास सेवा में प्रवेश करने पर निधि में अनिवार्य रूप से शामिल होना अपेक्षित है और अस्थाई पत्तन न्यास कर्मचारी जो कि एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरा कर चुके हैं या अन्यथा भविष्य को अभिदाता होने के लिए योग्य होते हैं यहां से तीन माह ।

(ग) कालम 3 स्थिति का उल्लेख करते हुए विवाहित महिला के संबंध में पति का नाम दिया जाए। पिता के नाम के बदले ।

(घ) कालम 7 : मंहगाई वेतन, यदि कोई हो तो स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

(च) कालम 8 : कृपया पारादीप पत्तन कर्मचारी (सा.भ.नि.) नियम, 1989 का नियम 9 देखिए ।

(छ) कालम 9 : पारादीप पत्तन कर्मचारी (सा.भ.नि.) नियम, 1989 के अधीन एक अस्थायी पत्तन, कर्मचारी जो कि एक वर्ष की निरंतर सेवा माह के मध्य में पूरा करता है सा.भ.नि. को उनके वेतन से उसके बाद के माह से जिनका वह एक वर्ष की सेवा पूर्ण करता है/करती है अभिदान देना प्रारंभ करेगा/करेगी।

(ज) अभिदान से नामांकन निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करना चाहिए और वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी पारादीप पत्तन न्यास को अभ्युक्ति कालम में उपयुक्त टिप्पणी देते हुए विवरण सहित अग्रेषित करना चाहिए ।

नामांकन फार्म

मैं.....इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियों का नामांकन करता हूं जो कि पारादीप लेखा सं. पत्तन कर्मचारी (सामाध्य भविष्य निधि) नियम, 1989 के नियम 2 में परिभाषित के अनुसार मेरे परिवार के सदस्य/गैर सदस्य हैं और मेरे मृत्यु के पूर्व भुगतानयोग्य या भुगतानयोग्य होकर अदत्त हो, नीचे उल्लिखित के अनुसार निधि में मेरे जमा में रही राशि प्राप्त करेंगे ।

नामिति/नामितों के नाम और पूरा पता	अभिदाता के साथ संबंध	नामिति की आयु	प्रत्येक नामिति को भुगतानयोग्य अंश	आकस्मिकताएं जिसके होने पर नामांकन अमान्य होता है	व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम, पता और संबंध, यदि कोई जिसे नामिति का अधिकार उसे अभिदाता को छोड़ देने पर दिया गया	नियम 2 में की गई व्यवस्था के अनुसार यदि नामिति परिवार का सदस्य नहीं है, कारणों का उल्लेख कीजिए

तारीख 19 पर

अभिदाता के हस्ताक्षर
नाम (बड़े अक्षरों में)

दो गवाहों के हस्ताक्षर
नाम और पता

पदनाम

1.

हस्ताक्षर

2.

फार्म का पिछला ओर

(वित्त और लेखा विभाग) कार्यालय के प्रमुख द्वारा प्रयोग के लिए स्थान

श्री/श्रीमती कुमारी पदनाम के द्वारा नामांकन

नामांकन प्राप्त करने की तिथि :

कार्यालय के प्रधान के हस्ताक्षर
लेखा अधिकारी
पदनाम
दिनांक

अभिदाताओं के लिए अनुदेश :

(क) आपका नाम भरिए

(ख) उचित रूप से निधि का नाम भरिए ।

(ग) 'परिवार शब्द की परिभाषा जैसा कि पारादीप पत्तन कर्मचारी (सा.भ.नि.) नियम, 1989 में दिया गया है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है ।

परिवार का अर्थ

(1) पुरुष अभिदाता के मामले में पत्नी या पत्नियां, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृत पुत्र की विधवा और बच्चे और जहां अभिदाता के माता पिता जीवित नहीं हैं दादा-दादी परन्तु अभिदाता यह साबित करता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से अलग हुई है या वह जिस समुदाय की है जिसमें परंपरागत कानून के अंनर्गत निर्वाह के लिए हकदार है, समाप्त हो गया हो तो वह अब से ऐसे मामलों में जिनका इन नियमों से संबंध है अभिदाता के परिवार की सदस्या नहीं मानी जाएगी । जब तक कि अभिदाता बाद में लेखा अधिकारी को लिखित रूप से यह सूचित करता हो कि उसे उसी तरह माना जाना चाहिए ।

(2) महिला अभिदाता के मामले में पति, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृत पुत्र की विधवा और बच्चे जहां अभिदाता के माता-पिता जीवित नहीं हैं, दादाद-दी परन्तु यदि अभिदात्री लेखा अधिकारी को पति को अपने परिवार से अलग करने के लिए लिखित रूप से अपनी इच्छा व्यक्त करती है तो पति को ऐसे मामलों में जिनका इन नियमों से संबंध है अभिदात्री के परिवार के सदस्य के रूप में नहीं माना जाएगा । जब तक कि अभिदात्री बाद में ऐसे नोटिस को लिखित रूप से रद्द करती है ।

नोट: बच्चे का अर्थ विधि संगत बच्चा और इसमें गोद लिया गया बच्चा शामिल है जहां अभिदाता को शासित करने वाला व्यक्तिगत कानून के द्वारा मान्य हो ।

(घ) कालम 4 : यदि एक व्यक्ति नामित किया गया हो तो "पूर्ण रूप में" शब्द (इन फुल) नामिति के सामने लिखा जाना चाहिए । यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित किये जाते हैं तो भविष्य निधि के पूर्ण राशि पर नामिति को भुगतानयोग्य अश को निर्विष्ट किया जाएगा ।

(च) कालम 5 : नामिति/नामितियों की मृत्यु को इस कालम में कन्टिन्जेन्सी के रूप में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए ।

(छ) आपके नाम का उल्लेख न कीजिए ।

(ज) आपके हस्ताक्षर के बाद किसी नाम के सम्मिलित होने से बचाने के लिए अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर एक ओर से दूसरी ओर तक रेखा खींचिए ।

नोट : नामांकन अमान्य होगा यदि नामांकन करते समय अभिदाता का परिवार न हो और बाद में परिवार का गठन किया गया हो ।

उपर्युक्त नाम वाले जामिन/जामिनों द्वारा हस्ताक्षरित

1.

2.

के समक्ष

गवाही के नाम और पदनाम

न्यासी बोर्ड की ओर से और वास्ते स्वीकार किया गया ।

अध्यक्ष
पारादीप पत्तन न्यास

(क) दावेदार/दावेदारों का नाम आवास के स्थान/स्थानों सहित ।

(ख) जामिनों के नाम और पते ।

(ग) मृतक का नाम

(घ) अधिकारी का नाम और पता

यहां शामिल करें "हकदार होने वाले है या अभिभावक के रूप में" मामला जैसा भी हो ।

फार्म 14

अभिदाता के अवयस्क बच्चे/बच्चे को देय सामान्य भविष्य निधि कम के लिए उसके/उनके वास्तविक अभिभावक के अलावा किसी व्यक्ति के द्वारा निकासी के लिए क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र का फ़ार्म (5000 रु. तक)

इन प्रस्तुतियों के द्वारा सभी को जानकारी दी जाती है कि हम (क) के पुत्र/पुत्री/स्त्री (अब से ऑब्लाइजर कहलायेंगे) के पुत्र/पुत्री/स्त्री और के निवासी

(ख) (1) के पुत्र/पुत्री/स्त्री और के निवासी और
(ख) (2) के पुत्र/पुत्री और के निवासी (अब से जामिनी कहलायेंगे)

की रकम में (शब्दों और आंकड़ों में) न्यासी बोर्ड के लिए (अब से बोर्ड कहलाएगा) दृढ़ रहेंगे जोकि बोर्ड को या उसके उत्तराधिकारी या अभ्यर्पित जिनके लिए भुगतान उचित और सच्चाई से किया जाना है, इन प्रस्तुतियों के द्वारा हम पृथक-पृथक उसके वारिसों, कार्यपालकों, प्रशासकों और अभ्यार्थियों और प्रत्येक दोनों और हम सभी संयुक्त रूप से हम स्वयं हमारे सबंधित वारिसों, कार्यपालकों प्रशासक और अभ्यर्पित दृढ़त से बाध्य होंगे।

एक हजार नौ सौ ——————————————————के दिन हस्ताक्षर किया गया।

जबकि (सी) उसकी मृत्यु के समय सामान्य भविष्य निधि का अभिदाता था और जबकि उक्त (सी) का एक हजार नौ सौ और ———— ————————के दिन देहांत हुआ और——————————————की राशि (शब्दों और आंकड़ों में) ——————————————बोर्ड द्वारा उसके सामान्य भविष्य निधि संचितों बाबत भुगतानयोग्य है और जबकि उपर्युक्त बाउन्डन आब्लाइजर दावा (दावे) उक्त (सी) के अवयस्क बच्चे/बच्चों की ओर से उक्त राशि परन्तु अभिभावक प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया/किये गये हैं ।

और जबकि आब्लाइजर (एस) (सबंधित अधिकार को संतुष्ट किया है/किये हैं कि वह/वे ऊपर कहे गये राशि के लिए हकदार है/हकदार हैं और यह अनावश्यक देरी और कठिनाई होगी यदि दावेदार को अभिभावक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित हो और जबकि बोर्ड उक्त राशि को दावेदार को भुगतान करने की इच्छा करती है परन्तु बोर्ड के नियमों और आदेशों के अधीन दावेदार को उक्त राशि भुगतान किये जाने के पूर्व जोकि आब्लाइजर और उसके प्रार्थना पर ऐसा करने के लिए जामिन सहमत हो, सबसे पहले दावेदार को उपर्युक्त के अनुसार ——————को (मृतक) को ऐसे देय रकम के सभी दावों के लिए दो जामिनों सहित एक बन्ध पत्र एक्जूक्यूट करना होगा।

अब इस बन्ध पत्र का शर्त ऐसा है कि यदि दावेदार को भुगतान करने के बाद आब्लाइजर या जामिनी बोर्ड द्वारा के विरुद्ध अन्य व्यक्तियों के द्वारा उपर्युक्त राशि रु. के संबंध में दावे के होने पर बोर्ड को की राशि वापिस कर दी जाएगी अन्यथा बोर्ड को बिना नुकसान और क्षति के रखा जाएगा और उपर्युक्त राशि के संबंध में सभी दायिताओं और उस पर किसी भी दावे के होने पर सभी होने वाले खर्चों का क्षतिपूर्ति करना होगा। तब ऊपर लिखित बन्ध पत्र या बाध्यताएं प्रवृतिहीन होंगे अन्यथा ये पूरी तरह से लागू, प्रभावी और आधार होंगे। बोर्ड स्टाम्प ड्यूटी वहन करने के लिए सहमत होती है यदि इन प्रस्तुतियों पर कोई प्रभाव हो।

ऊपर लिखित दिन, माह और वर्ष पर गवाही में जहां आब्लाइजर और जामिनी/जामिनियों अब तक रहे हैं और अब से अपनी-अपनी सहमति देते हैं।

समक्ष ऊपर लिखित आब्लाइजर द्वारा हस्ताक्षरित।

1.

2.

ऊपर दिये गये नामों वाले जामिन जामिनों द्वारा हस्ताक्षरित

1.

2.

के समक्ष

गवाही का नाम और पदनाम

न्यासी बोर्ड के वास्ते और की ओर से स्वीकार किया गया।

अध्यक्ष
पारादीप पत्तन न्यास

(क) दावेदारों (दावेदारों) के नाम निवास स्थान (स्थानों) सहित।

(ख) जामिनों के नाम और पते।

(ग) मृतक का नाम।

(घ) अधिकारी का नाम और पता।

*यहां शामिल कीजिए "हकदार होने वाला है" या "अभिभावक के रूप में" मामला जैसा भी हो।

फार्म—IV

भविष्य निधि में शेष के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र

कारपोरेट इकाइयों/अन्य सरकारी के भविष्य निधि लेखों में शेषों के अंतिम भुगतान/अंतरण के लिए आवेदन का फार्म

सेवा में,

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
पारादीप पत्तन न्यास
(कार्यालय के प्रधान के माध्यम से)

महोदया,

मैं सेवा निवृत्त होने वाला हूं/सेवा निवृत्त हुआ हूं/☐महीनों के लिए पूर्व निवृत्ति छुट्टी पर हूं/निकाला गया हूं/बरखास्त किया गया हूं/स्थाई रूप से को स्थानांतरित किया गया हूं/पत्तन सेवा से त्याग कर चुका हूं/ में नियुक्त होने के लिए पारादीप पत्तन न्यास के अधीन सेवा त्याग दिया हूं और मेरा त्याग पत्र पूर्वा/अप से के साथ को सेवा ग्रहण किया हूं।

2. मेरा सामान्य भविष्य निधि लेखा सं० है।

3. मैं अपने कार्यालय के माध्यम से भुगतान लेने के लिए इच्छा करता हूं। मेरे व्यक्तिगत पहचान चिह्न, बांये हाथ के अगूठे और उंगली के निशान (आशिक्षिक अभिदाताओं के मामले में और नमूना हस्ताक्षर शिक्षित अभिदाताओं के मामले में) दो प्रतियों में आवान और संवितरण अधिकारी के द्वारा साक्ष्यांकित करने के द्वारा संलग्न हैं।

खण्ड I

(सेवा निवृत्ति से एक वर्ष पूर्व तक जब अंतिम भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन भरा जाना है)

4. वर्ष के लिए जारी किये गये लेखा विवरण में उल्लिखित के अनुसार की राशि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखे के जमा में रही है जैसाकि आपके द्वारा अनुरक्षित मेरे सहायक बही लेखे में बताया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखे की समीक्षा की जाए और अद्यतन किया जाए।

5. मेरे वेतन से अंतिम निधि कटौती के तुरन्त बाद फार्म के खण्ड II में मैं अन्य आवेदन प्रस्तुत करूंगा।

भवदीय

हस्ताक्षर :
स्टेशन नाम :
तारीख पता :

(कार्यालय के प्रधान के प्रयोग के लिए)

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी का भविष्य निधि लेखा सं० (जैसा कि जांच किया गया/प्रतिवर्ष उसे जारी किये गये विवरण)।

3. वह पत्तन न्यास सेवा से को निवृत्त होने वाला/वाली है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उसने निम्नलिखित अग्रिमें ली जिसके संबध में रु० के किश्त अभी वसूल करना है और निधि लेखा में जमा करना है। उपर्युक्त लेखे विवरणियों के द्वारा अवधि को शामिल करने के बाद उसे मंजूर की गई अतिरिक्त निकासियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

अस्थाई अग्रिम	अंतिम निकासी
1	————
2	————
3	————

कार्यालय के प्रधान के हस्ताक्षर

खण्ड II

(अभिदाता को उसके वेतन से अंतिम निधि कटौती के तुरन्त बाद प्रस्तुत करना है। यह भाग उन अभिदाताओं के मामले में भी लागू होगा जो पहली बार निवर्तन की तारीख/निकालेजाने/त्याग पत्र देने आदि के बाद अंतिम भुगतान के लिए आवदन करते है।

भविष्य निधि शीर्षों के अंतिम भुगतान के लिए मेरे पूर्व आवेदन दिनांक के क्रम में मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे जमा में रही पूर्ण राशि नियमों के अधीन देय ब्याज सहित मुझे भुगतान किया जाए।

या

मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे जमा में रही पूर्ण राशि नियमों के अधीन देय ब्याज सहित मुझे भुगतान किया जाए/अंतारित किया जाए।

हस्ताक्षर
नाम
पता

(कार्यालय के प्रधानों के प्रयोग के लिए)

पृष्ठांकन स के क्रम में वित्त सलाहकार एव मुख्य लेखा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित।

2. को वह सेवा से निवृत्त होने वाला है/वाली है से महीनों के लिए पूर्व निवृत्ति छुट्टी पर है/निकाला गया/बरखास्त किया गया/स्थाई रूप से स्थानांतरित किया गया/पत्तन न्यास अंतिम रूप से त्याग दिया/ में नियुक्त होने के लिए पत्तन न्यास के अधीन सेवा त्याग दिया है और उसका त्याग पत्र पूर्वा०/अप० से स्वीकार कर लिया गया है। वह के साथ को पूर्वा० अप० से सेवा ग्रहण किया है।

3. अंतिम निधि कटौती उसके वेतन से इस कार्यालय के बिल सं तारीख स
रु० (रु०) के लिए की गई है। नगद वाउचर सं०
दिनांक कटौती की राशि रु० और अग्रिम की वापसी बाबत वसूली रु.।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उसे उसके वेतन से अंतिम निधि कटौती की तारीख के तुरन्त बाद 9 महीनों की अवधि के अन्तर्गत या उसके बाद न तो अस्थाई अग्रिम न ही अंतिम निकासी की मंजूरी उसके भविष्य निधि से की गई।

या

प्रमाणित किया जाता है कि उसके वेतन से अंतिम निधि कटौती की तारीख के तुरन्त बाद 9 महीनों के अन्दर या उसके बाद निम्नलिखित अस्थाई अग्रिम, अंतिम निकासी मजूर किये गये और उसके भविष्य निधि लेखे से आदान किये गये।

अग्रिम/निकासी की राशि	तारीख	वाउचर सं
1	————	————
2	————	————
3	————	————

5. प्रमाणित किया जाता है कि वह दूसरे पत्तन न्यास में या केन्द्रीय सरकार के विभाग में या राज्य सरकार में या राज्य/केन्द्रीय सरकार में स्वामित्व या नियंत्रण में रहे कारपोरेट के अधीन नौकरी करने के लिए सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति सहित पत्तन न्यास की सेवा से त्यागपत्र नहीं दिया है।

कार्यालय के प्रधान के हस्ताक्षर

फार्म—V

अभिदाता के भविष्य निधि लेखे में शेषों के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन का फार्म जो कि नामिति या अन्य कोई दावेदार के द्वारा जहां नामांकन मौजूद नहीं है प्रयोग किया जाना है।

सेवा में,

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
पारादीप पत्तन न्यास
(कार्यालय के प्रधान के माध्यम से)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि श्रीमती/श्री के सामान्य भविष्य निधि में संचितों के भुगतान के लिए व्यवस्थाए की कोई इस संबंध में आवश्यक विवरण नीचे दिये गये हैं।

1. पत्तन कर्मचारी का नाम

3. जन्म तिथि

3. पत्तन कर्मचारी के द्वारा ग्रहण किया गया पद

4. मृत्यु की तारीख

5. मृत्यु का प्रमाण म्युनिसिपल प्राधिकारियों आदि के द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो।

6. अभिदाता की आबंटित भविष्य निधि लेखा संख्या

7. अभिदाता के जमा में रहे सामान्य भविष्य निधि की राशि, उसके मृत्यु के समय, यदि जानकारी हो।

8. अभिदाता के मृत्यु के तारीख पर जीवित नामितियों का विवरण, यदि नामांकन मौजूद हो।

नामिति का नाम	अभिदाता के साथ संबंध	नामिति का अंश
1		
2		
3		
4		

9. यदि नामांकन परिवार के सदस्य के अन्यथा किसी व्यक्ति के पक्ष में है तो परिवार का विवरण यदि अभिदाता बाद में परिवार का गठन किया हो।

नाम	अभिदाता के साथ संबंध	मृत्यु की तारीख पर आयु
1		
2		
3		

10. यदि नामांकन मौजूद नहीं है तो अभिदाता की मृत्यु की तारीख पर परिवार के जीवित सदस्यों का विवरण । अभिदाता की पुत्री या मृत पुत्र के पुत्रों के मामले में, अभिदाता के मृत्यु के पूर्व विवाहित हो तो उसके नाम के सामने यह बताया जाना चाहिए कि क्या उसका पति अभिदाता के मृत्यु के तारीख पर जीवित है।

नाम	अभिदाता के साथ संबंध	मृत्यु की तारीख पर
1		
2		
3		

11. अवयस्क बच्चे को देय रकम के मामले में (अभिदाता की विधवा) जिसकी माता हिन्दू नहीं है, दावे के साथ क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र या अभिभावक प्रमाणपत्र मामला जैसा भी हो, होना चाहिए।

12. यदि अभिदाता का परिवार नहीं है और कोई नामांकन मौजूद नहीं है तो उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें भविष्य निधि रकम का भुगतान किया जाना है। लेटर ऑफ प्रोबेटर या सक्सेशन प्रमाणपत्र आदि का होना चाहिए।

नाम	अभिदाता के साथ संबंध	पता

13. दावेदारों का धर्म

भवदीय

स्टेशन

दावेदार का हस्ताक्षर

तारीख

(पूरा नाम और पता)

(कार्यालय/विभाग के प्रमुख के प्रयोग के लिए)

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित

2. श्री/श्रीमती/कुमारी·····················का (उसके द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण के जांच के अनुसार) भविष्य निधि लेखा सं. है।

3. उसकी मृत्यु·············को हुई। म्युनिसिपल प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया मृत प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया। इस मामले में अपेक्षित नहीं है जैसा कि उसके मृत्यु के बारे में संदेह नहीं है।

4. ···············माह के लिए इस कार्यालय के बिल सं·············दिनांक············में आदान किये गये उसके वेतन से·················रु. अंतिम निधि कटौती की गई। नकद वाउचर सं.················दिनांक ····················कटौती की रकम···········और वसूली की अग्रिम की वापसी बाबत।

5. प्रमाणित किया जाता है कि उसे उसकी मृत्यु तारीख के तुरन्त पूर्व 12 महीनों के अन्तर्गत न तो अस्थाई अग्रिम न ही कोई अंतिम निकासी की मंजूरी उसके सामान्य भविष्य निधि लेखे से दी गई।

या

प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु की तारीख से तुरन्त पूर्व 12 महीनों के अन्तर्गत उसे निम्नलिखित अग्रिम/अंतिम निकासी उसके भविष्य निधि लेखे से मंजूर किये गये।

अग्रिम/निकासी की राशि	भुनाने की तारीख और स्थान	वाउचर नं.

कार्यालय/विभाग के प्रमुख के हस्ताक्षर

फार्म 6

भविष्य निधि से अग्रिम के लिए आवेदन के लिए फार्म

पारादीप पत्तन न्यास

विभाग/कार्यालय .....

सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम के लिए आवेदन

1. अभिदाता का नाम
2. लेखा सं.
3. पदनाम
4. वेतन रु.
5. आवेदन की तिथि पर अभिदाता के जमा में शेष निम्नवत :
   1. वर्ष के लिए
      विवरण के अनुसार अन्तशेष रु.
   2. मासिक चन्दा बाबत से तक जमा रु.
   3. वापसी रु.
   4. से तक
      की अवधि के अन्तर्गत निकासी रु.
   5. जमा में निवल राशि रु.
   6. अग्रिम/बकाया अग्रिम की राशि रु.

ली गई अग्रिम की राशि और मंजूरी की तिथि	उस तारीख पर बकाया शेष
1	
2	

7. अपेक्षित अग्रिम की राशि रु.
8. (क) जिस प्रयोजन के लिए अग्रिम की आवश्यकता है
   (ख) नियम जिसके अधीन प्रार्थना शामिल है
   (ग) यदि गृह निर्माण आदि के लिए अग्रिम मांगी गयी तो निम्नलिखित सूचना दी जाए :
      1. प्लाट का स्थान और माप
      2. क्या प्लाट को स्वतंत्र रूप से रखा गया या पट्टे पर है
      3. निर्माण के लिए प्लान
      4. यदि फ्लैट या प्लाट को हाउसिंग बोर्ड सोसायटी से खरीदा जा रहा है तो सोसायटी का नाम स्थान और माप इत्यादि
      5. निर्माण की लागत
      6. यदि प्लाट की खरीदी किसी विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड इत्यादि से है तो स्थान डामेन्शन आदि दिया जाए
   (घ) यदि अग्रिम बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यकता है तो निम्नलिखित विवरण दिए जाएं
      1. पुत्र/पुत्री का नाम
      2. कक्षा और संस्थान/कालेज जहां पढ़ाई हो रही है
      3. क्या डे-स्कालर है या हास्टलर

(च) यदि अग्रिम की परिवार के बीमार सदस्यों के उपचार के लिए आवश्यकता है तो निम्नलिखित विवरण दिए जाएं :

1. मरीज का नाम और संबंध
2. अस्पताल/दवाखाना/डॉक्टर का नाम जहां मरीज का इलाज हो रहा है ।
3. क्या बाह्य/आंतरिक मरीज है ।
4. क्या प्रतिपूर्ति उपलब्ध है या नहीं

नोट :—8(ग) से 8(च) तक के अग्रिम के मामले में दस्तावेजी प्रमाण का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है

9. समेकित अग्रिम की राशि (मद 6 और 7) और मासिक किस्तों की संख्या जिनमें समेकित अग्रिम का पूर्नभुगतान प्रस्तावित है रु. किस्तों में

10. अग्रिम को औचित्य बताते हुए अभिदाता की आर्थिक स्थितियों का पूर्ण विवरण ।

मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी सर्वाधिक जानकारी और विश्वास से ऊपर दिये गये विवरण सही और पूर्ण हैं और मेरे द्वारा किसी बात को गुप्त नहीं रखा गया है।

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

फार्म 7

सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की मंजूरी का प्रोफार्मा

पारादीप पत्तन न्यास

विभाग/कार्यालय का नाम

सं. तारीख .....

आदेश

श्री/श्रीमती/कुमारी को उसके सामान्य भविष्य निधि लेखा स. मे उसे पर खर्च वहन करने के लिए रु. (रु.) अग्रिम की मजूरी के लिए के नियम के अधीन इसके द्वारा की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अग्रिम की वसूली रु. प्रति मासिक किस्त पर मासिक किश्तों में माह के लिए और में भुगतान योग्य वेतन मे की जाएगी।

3. में की मजूर की गई और में उसे भुगतान की गई की अग्रिम राशि में से की राशि नीचे उल्लिखित के अनुसार समेकित रकम वसूली प्रारम्भ करने तक बकाया रहेगी।

यह रकम अब मजूर की गई अग्रिम सहित कुल रु. कुल होती है जिसकी वसूली रु. प्रतिमाह मासिक किश्तों में मास के लिए में भुगतानयोग्य वेतन से प्रारम्भ की जाएगी।

4. इसे वित्त और लेखा विभाग की सहमति से उनके यू.ओ.आई.स. दि. के अनुसार जारी किया गया ।

कार्यालय का प्रधान

प्रतिलिपि द्वारा सूचित :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, पारादीप पत्तन न्यास
2. संबंधित व्यक्ति
3. बिल लिपिक ।

फार्म 8

सामान्य भविष्य निधि से निकासी के लिए आवेदन का प्रोफार्मा

विभाग/कार्यालय

सामान्य भविष्य निधि से निकासी के लिए आवेदन

1. अभिदाता का नाम

2. लेखा सं.

3. पदनाम (विभाग सहित)

4. वेतन

5. सेवा ग्रहण करने की तारीख और निवर्तन की तारीख

6. नीचे दिये गये अनुसार आवेदन की तारीख पर अभिदाता के जमा में रहा शेष

   1. वर्ष के लिए वितरण के अनुसार अंत शेष

   2. मासिक अभिदान बाबत से तक जमा

   3. उपर्युक्त (1) के अनुसार अंत शेष के बाद निधि को वापसी

   4. से तक की अवधि के अंतर्गत निकासी

   5. आवेदन की तारीख पर जमा में निवल शेष

7. निकासी की अपेक्षित राशि

8. (क) प्रयोजन जिसके लिए निकासी अपेक्षित है
   (ख) प्रार्थना जिस नियम के अंतर्गत शामिल है

9. क्या पहले उसी प्रयोजन के लिए निकासी की गयी, यदि हां तो वर्ष और रकम का उल्लेख कीजिए ।

10. सामान्य भविष्य निधि लेखे का रखरखाव करने वाले लेखा अधिकारी का नाम

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

नाम

पदनाम

फार्म 9

सामान्य भविष्य निधि से निकासी मंजूर करने के लिए प्रोफार्मा

पारादीप पत्तन न्यास

विभाग/कार्यालय का नाम

सं..... दि.....

सेवा में,

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
पारादीप पत्तन न्यास

विषय : श्री/श्रीमती/कुमारी के द्वारा सामान्य भविष्य निधि से निकासी।

महोदय,

श्री के द्वारा (यहां पदनाम की प्रविष्टि करें) रु. (रु.) के व्यय को वहन करने के लिए नियमों के नियम के अंतर्गत उसके सामान्य भविष्य निधि लेखा सं. (विभाग सहित) से निकालने के लिए मंजूरी की सूचना देने के लिए मुझे निदेश हुआ है ।

2. निकासी की राशि श्री के छह महीनों के वेतन से या सामान्य भविष्य निधि में उसके जमा/अभिदान के आधे से अधिक नहीं होती है, सामान्य भविष्य निधि में श्री के जमा/अभिदान की राशि कम/तीन चौथाई है। उसका मूल वेतन है ।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री दस वर्षों के अन्दर निवर्तन पर उसके सेवा निवृत्त होने पर/बीस वर्ष/ को बोर्ड सेवा का पच्चीसवां वर्ष/पूर्ण कर चुका है।

4. श्री को इस कार्यालय के द्वारा की राशि के अनुसार के लिए लेखा विवरण के बाद मंजूर की गई । समझा गया कि श्री (जैसाकि उसके द्वारा बताया गया) को के द्वारा रु. की पार्ट फाइनल निकासी की पिछली मंजूरी दी गई ।

भवदीय

कार्यालय का प्रधान

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. को। उनका ध्यान पारादीप पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि विनियम के विनियमों के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है । जिसके अनुसार अभिदाता को जिसे निधि से राशि निकालने की अनुमति दी गई है मंजूरी दाता प्राधिकारी को संतुष्ट करना चाहिए कि रकम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया जिसके लिए निकाला गया । इस संबन्ध में प्रमाणपत्र राशि की निकासी के तीन महीनों के अन्दर प्रस्तुत किया जाए कि ऊपर मंजूर की गई निकासी उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई जिसके लिए मंजूर की गई।

2.

3.

फार्म 10

अग्रिम को अंतिम निकासी में परिवर्तन के लिए आवेदन का फार्म

1. अभिदाता का नाम

2. पदनाम और कार्यालय जिससे संबद्ध है

3. वेतन

4. भविष्य निधि लेखा सं०

5. आवेदन की तारीख पर जमा में शेष (उसके द्वारा वास्तविक रूप से अभिदान की गई राशि और उस पर देय ब्याज)

6. अंतिम निकासी में परिवर्तित किया जाने वाला बकाया शेष

7(क) प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम लिया गया

(ख) अग्रिम की भुगतान की तारीख

(ग) स्वीकृत अग्रिम की राशि

8. सूचना के विवरण जिसके अंतर्गत अग्रिम की मंजूरी दी गई

9. क्या पहले ऊपर उल्लिखित प्रयोजन के लिए कोई अग्रिम या अंतिम निकासी ली गई, यदि ऐसा है तो उसके विवरण

10(क) इस आवेदन की तारीख पर भंग अवधियों सहित कुल सेवा

(ख) निवर्तन की आयु प्राप्त करने के लिए आवेदन की तारीख पर बची हुई सेवा की अवधि

(ग) निवर्तन की तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

तारीख

सं० तारीख

उपर्युक्त विवरणों का जांच किया गया और सही पाया गया ।

सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

फार्म XI

पारादीप पत्तन न्यास

विभाग/कार्यालय का नाम

आदेश

सं० दिनांक

कार्यालय के (सा०भ०नि० लेखा सं.) श्री/श्रीमती/कुमारी को

(प्रयोजन) के लिए को स्वीकृत और बाउचर सं. दिनांक

में आदान किया गया सा०भ०नि० अग्रिम की राशि रु० में से बकाया शेष की राशि (रु०

को पारादीप पत्तन कर्मचारी (सा०भ०नि०) विनियम 1989 के नियम 18 के अधीन अंतिम निकासी में परिवर्तन के लिए इसके द्वारा की मंजूरी की सूचना/प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख

अग्रेषित :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, पारादीप पत्तन न्यास
2. संबंधित व्यक्ति
3. इत्यादि

हस्ताक्षर

पदनाम

सामान्य भविष्य निधि सहायक बही

फार्म XII

लेखा सं० ——————————

नाम ——————————

पदनाम ——————————

नियुक्ति की तारीख——————————

निवर्तन की तारीख ——————————

31 मार्च 199 को वेतन——————रु०

पत्र दि०—————— के अनुसार नामांकन की प्राप्ति और स्वीकृति

वर्ष	अभिदाय	वापसी	कुल	अग्रिम/निकासी	मासिक शेष जिस पर ब्याज का गणन किया गया	अभ्युक्ति
अप्रैल						
मई						
जून						
जुलाई						
अगस्त						
सितम्बर						
अक्तूबर						
नवम्बर						
दिसम्बर						
जनवरी						
फरवरी						
मार्च						

31 मार्च 199 को शेष	रु०
जमा और वापसी	रु०
19 के लिए ब्याज	रु०
निकासी काटिये	रु०
31 मार्च 19 को शेष	रु०

द्वारा इन्दराज किया गया — द्वारा जांच किया गया — द्वारा परीक्षण किया गया

पारादीप पत्तन न्यास फार्म 13

19 वर्ष के लिए पत्तन कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा पर्ची

सा० भ० नि० लेखा सं०.....नाम.....पदनाम.....कार्यालय कोड.....

दर्ज करने का माह	आदि शेष	अभिदान	निकासी	वापसी	ब्याज	अंतशेष
अप्रैल						
मई						
जून						
जुलाई						
अगस्त						
सितम्बर						
अक्तूबर						
नवम्बर						
दिसम्बर						
जनवरी						
फरवरी						
मार्च						
कुल						

लेखा अधिकारी

पारादीप पत्तन न्यास

एन० बी० मार्च 19 से फरवरी 19 तक संचालन से संबंधित लेखे
ब्याज का दर 12% है (बारह प्रतिशत)

फार्म 14

अंतिम भुगतान मामलों का रजिस्टर

क्र० सं०	आवेदन अग्रेषित करने की संख्या और तारीख	नाम और पदनाम	सेवा छोड़ने/निवृत्त/ मृत्यु की तारीख	भुगतान प्राधिकृत करने की तारीख	वास्तविक भुगतान का विवरण		संवितरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की तारीख		अभ्युक्ति
					उपलब्ध शेष	अवशिष्ट शेष	उ० शे०	अ० शे०	उ० शे०	अ० शे०	

नोट 1– अंतिम निपटारे के लिए जब एक ही भुगतान किया जाता है तो कालम उ० शे० का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

नोट 2– संवितरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जारी किये गये अनुस्मारकों का नोट अभ्युक्ति कालम में रखा जाना है।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 1991

G.S.R. 150(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Paradip Port Employees (General Provident Fund) Regulations, 1991, made by the Board of Trustees for the Port of Paradip and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12016/6/90-PE-I]

SCHEDULE

PARADIP PORT EMPLOYEES (GENERAL PROVIDENT FUND) REGULATIONS, 1989

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Boad of Trustees of the Port of Paradip hereby make the following regulations namely "Paradip Port Employees (General Provident Fund) Regulations, 1989", subject to the approval of the Central Government under sub-section (1) of Section 124 of the said Act—

1. Short title and commencement :—

(a) These regulations may be called the Paradip Port Employees (General Provident Fund) Regulations, 1989.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Definitions :—

(1) In these regulations unless the context otherwise requires :—

(a) "Accounts Officer" means the FA & CAO of the Board.

(b) "Board" and "Chairman" shall have the same m eanings respectively assigned to them in the Major Port Trusts Act, 1963.

(c) Save as otherwise exptssly provided "emoluments" means pay as defined in the Fundamental Rules of Government of India or in the Rules/Regulations, if any, framed by the Board whichever may be applicable to the subscriber, leave salary, subsistence grant and any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service.

(d) "Employee" means an employee of the Board.

(e) "Family" means—

(i) In the case of a male subscriber, the wife of wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and the children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grand parent. Provided that if a subscriber, proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community, to which she belongs to be entitled to maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate, unless the subscriber subsequently intimates, in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be recorded.

(ii) In the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers and adopted sisters, deceased son's widow and children and where nn parents of the subscriber is alive, a paternal grand parent Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate, uncless the subscriber subsquently cancels such notice in writing.

NOTE : (i) "Child" means a legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber.

(ii) An adopted child ceases to be included in the family of the natural father for the purpose of Paradip Port Employees (General Provident Fund) Regulations, when, under the personal law of the adoptor, adoption is legally recognised as conferring the status of a natural child.

(f) "From" means the form appended to the Regulations.

(g) "Fund" means the Paradip Port Employees General Provident Fund.

(h) "Head of Department" means the authority declared by the Central Government.

(i) "Head of Office" means the authority so declared by the Chairman.

(j) "Leave" means any kind of leave under C.C.S. (Leave) Rules, 1972 or Regulations as may be framed by Paradip Port Trust under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, whichever may be applicable to the subscriber.

(k) "Year" means a financial year.

(l) Any other expression used in these Regulations which is defined either in the Provident Fund Act, 1925 (19 of

1925) or in the Fundamtntal Rules of Central Government or any other rules|regulations applicable to the subscriber shall have the same meanings respectively assigned to them in such Act, Rules or Regulations.

3. Constitution of Fund :—

(1) The fund shall be administered by the Board of Trustees and maintained in rupees.

4. Conditions of eligibility :—

(1) All temporary employees after a continuous service of one year, all re-employed pensioners (other than those eligible for admission to the contribtuory Provident Fund) and all Permanent employees shall subscribe to the fund.

(2) The temporary employee, before completion of continuous service of one year, may subscribe to the fund, if so desires.

(3) Employees who are subscribers to CPF shall not be eligible to subscribe to G.P.F.

(4) The employee shall submit nomination in the prescribed form-II (in triplicate) to the Head of Office.

(5) The Head of Office shall send a statement in duplicate to the Accounts Officer in the Form-I alongwith Nomination Forms in triplicate on the 15th of every month.

(6) The Accounts Officer , after allotment of G.P.F. Number shall retain one copy of the statement (Form-I) and Nomination Form and return other copies of Form-I and II to Head of Office. Thereafter, one copy of nomination in Form-II, shall be pasted in the first page of Service Book| Service Roll of the subscriber & another copy shall be returned to the subscriber, under receipt.

5. Transfer of balances :—

On the commencement of these Regulations, the balance standing to the credit of an employeee in the G.P.F. constituted under the G.P.F. Rules, 1960, for such employee shall be credited to the account of the employee under the Fund constituted under these Regulations.

6. Nominations :—

(1) The subscriber shall at the time of joining the Fund, send to the Accounts Officer through the Head of Office conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death, before that amount has become payable or having become payable has not been paid :

Provided that a subscriber who has family at the time of making the nomination shall make such nomination only in favour of a member or members of his family :

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other Provident Fund to which he was subscribing before joining the Fund shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credition the Fund, be deemed to be a nomination duly made under these Regulations until he makes a nomination in accordance with these Regulations.

(2) If a subscriber nominates more than one person under sub-regulations (1) he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be made in the Form-II appended to these Regulations.

(4) A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Accounts Officer. The subscriber shall alongwith such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of these Regulations.

(5) A subscriber may provide in a nomination–

(a) In respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination, provided that such other person or persons shall if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee|nominees.

(b) that the nomination shall b ecome invalid in the event of the happening of a contingency specified therein :

Provided that if at the time of making nomination, the subscriber has only one member of the family, he|she shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under Clause (a) shall become invalid in the event of his|her subsequently acquiring other member or members in his|her family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under Clause (a) of Sub-regulation (5) or on the occurrence of any event by the reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of Clause (b) of sub-regulation (5) or the proviso thereto, the subscriber shall send to the Accounts Officer a notice in writing cancelling the nomination, together

with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this Regulation.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Accounts Officer.

(8) In case where no nomination exists in favour of the widow of the subscriber, the title of the widow be the claim in respect of the fund deposit or her former husband is not affected by her subsquent marriage.

(9) If a subscriber has no family, or has no other person, excepting the nominee constituting his family as defined in the regulations, the person to whom the right of the nomine should pass named in the last column can, of cource, be some one other than a member of his family.

(10) A subscriber, even after retirement|discharge etc. can change the nomination already made by him while in service, so long as the amount of the cerdit of the subscriber is not actually paid, provided the changes or revised nomination are made and notified in accordance with the provisions of the relevant General Provident Fund Regulations.

(11) The nomination for Provident Fund submitted to the Head of Office, well before the death of the subscriber, should be treated as valid nomination, notwithstanding the fact, that it did not reach the Accounts Officer before the death of the subscriber.

(12) (i) In the event of the subscriber's death, the nominee though has right to receive the Provident Fund money, he|she shall have no right to authorise any body else to receive the said money.

(ii) It is always open to the heris under the personal law applicable to the deceased subscriber to claim their share of Provident Fund Money. As such, if any Court of law decrees that payment should be made to persons other than the nominee(s), before actual payment has been made to the nominee(s), the orders of the court will be complied with irrespective of the fact whether nomination is valid or not.

NOTE :—

(a) Provident Fund amount should not be paid to the nominee in a case which is known to be sub judice.

(b) In a case where there is a possibility of a suit being filed, the concerned Head of Department shall write to the party intending to file a suit that Port Trust intends to make payment within a certain number of days; and

(c) After the orders have been passed by a lower Court if certain parties intend to go in appeal against the judgement of a such court, the concerned Head of Department should write to the party which has lost the case that if, within a stated reasonable period, that party does not obtain a stay order from the Court, payment shall be made.

(d) The concerned Head of Department should take action in all the three types of cases mentioned above, so long as the application for final payment is not forwarded to the Accounts Officer. After the application has been forwarded, the responsibility rests both with Accounts Officer and the concerned Head of Department and whoever receives any information should pass it on to the other.

7. Subscriber's Account :—

An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown—

(i) his subscriptions;

(ii) interest, as provided by Regulation 12, on subscriptions;

(iii) advances and withdrawals from the fund;

(iv) refund of advance to the Fund.

NOTE :—

The General Provident Fund Account number allotted to the subscriber should be entered on the right hand top of Page-1 of his Service Book|Service Roll by means of a rubber stamp.

8. Conditions of Subscriptions :—

(1) A subscriber shall subscribe monthly to the Fund except during the period when he is under suspension :

Provided that a subscriber may, at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay :

Provided further that a subscriber on reinstatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one lump sum, or in instalments, any sum not exceeding the maximum amount of arrear subscriptions payable for that period.

NOTE :—

A subscriber need not subscribe during a period treated as dies non.

(2) The subscriber shall intimate his option not to subscribe during the leave referred to in the first proviso to sub-regulation (1) in the following manner :—

(a) if he is an officer, by written communication to the Accounts Officer before he proceeds on leave;

(b) if he is not an Officer, by written communication to the Head of his Office before he proceeds on leave. Failure to make due and timely intimation shall be

deemed to constitute an election to subscribe. The option of a subscriber intimated under this Sub-regulation shall be final.

(3) A subscriber who has under regulation 20, withdrawn the amount standing to his credit in the Fund shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.

(4) Not withstanding anything contained in sub-regulation (1), a subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Head of Office in writing his option to subscribe for the said month.

(5) An employee due to retire in superannuation shall be exempted from making any subscription to the G.P.F. during the last three months of his service. The discontinuance of subscription would be compulsory and not optional.

(6) An employee, if he so desired, may deposit the whole or part of the amount of Bonus, Interim Relief etc. in his G.P.F. Account.

9. Rates of subscription :—

(1) The amount of the susbcription shall be fixed by the subscriber himself subject to the following conditions, namely :—

(a) It shall be expressed in whole rupees;

(b) It may be any sum, so expressed not less than 6 per cent of his emoluments and not more than his total emoluments;

(c) When an employee elects to subscribe at the minimum rate of 6 per cent, the fraction of a rupee will be rounded to the nearest whole rupee, 50 p. counting on the next higher rupee.

(2) For the purpose of sub-regulation (1), the emoluments of a subscriber shall be—

(a) in the case of a subscriber who was in Board's service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date :

Provided that—

(i) If the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty:

(ii) if the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, his emoluments shall be the emoluments to which he would have been entitled, had he been on duty in India.

(b) In the case of a subscriber who was not in Board's service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the day he joins the Fund.

(3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly sub cription in each year in the following manner :—

(a) If he was on duty on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he makes in this behalf from his pay bill for that month;

(b) If he was on leave on 31st March of the preceding year, and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on that date, by the deduction which he makes in this behalf from his first pay bill after his return to duty;

(c) If he has entered Board's service for the first time during the year, by the deduction which he makes in this behalf, from his pay bill for the month during which he joins the Fund;

(d) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, by the deduction which causes to be made in this behalf from his pay bill for that month;

(e) If he was on foreign service on the 31st March of the preceding year, by the amount credited by him into the Board's account on account of subscription for the month of April in the current year.

(4) The amount of subscription so fixed may be—

(a) reduced once at any time during the course of the year;

(b) enhanced twice during the course of the year; or

(c) reduced and enhanced as aforesaid :

Provided that when the amount of subscription is so reduced, it shall not be less than the minimum prescribed in sub-regulation (1) :

Provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half pay for a part of a calendar month and he has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above.

10. Transfer to foreign service or deputation out of India—

When a sub criber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

11. Realisation of subscription—

(1) When emoluments are drawn in India recovery of subscriptions on account of these emoluments and of the principal & interest of advance shall be made from the emoluments themselves.

(2) When emoluments are drawn from any other source, the subscriber shall forward his dues monthly to the Accounts Officer :

Provided that in the case of a subscriber on deputation to a body corporae, owned or controlled by Government, the subscriptions shall be recovered and forwarded to the Accounts Officer, by such body.

(3) If a subscriber fails to subscribe with effect from the date on which he is required to join the Fund or is on default in any month or months during the course of a year otherwise than is provided in Rule 8, the total amount due to the Fund on account of arrears of subscriptions shall, with interest thereon at the rate provided in Regulation 12, forthwith be paid by the subscriber to the Fund or in default be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber by instalments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-regulation (2) of Regulation 13 :

Provided that subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be required to pay any interest :

Provided further that in case of an amount forwarded in accordance with the proviso to sub-regulation (2) of this regulation, the date of deposit shall be deemed to be the 1st day of that month if received by the Accounts Officer before the fifteenth day of that month :

12. Interest :

(1) Subject to provisions of sub-regulation (5) of this regulation, the Board shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year according to the method of calculation prescribed from time to time by the Board :

Provided that, if the rate of interest determined for a year is less than 4 per cent, all subscriber to the fund in the year preceding that for which the rate has for the first time been fixed at less than 4 per cent shall be allowed interest at 4 per cent :

Provided further that a subscriber who was previously subscribing to any other Provident Fund of the Central Government and whose subscriptions, together with interest thereon, have been transferred to his credit in his Fund under Regulation 23, shall also be allowed interest at 4 per cent, if he had been receiving that rate of interest under the rules of such other Fund provision similar to that of the first proviso to this Regulation.

(2) Interest shall be credited with effect from last day in each year in the following manner :—

(i) On the amount to the credit of a subscriber on the last day of the preceding year, less any sums withdrawn during the current year-interest for twelve months;

(ii) On sums withdrawn during the current year-interest from the begining of the current year upto the last day of the month preceding the month of withdrawal;

(iii) On all the sums credited to the subscriber's account after the last day of the preceding year-interest from the date of deposit upto the end of current year;

(iv) The total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee (fifty paise counting as next higher rupee) :

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber, has become payable interest shall there upon be credtied under this regulation in respect only of the period from the begining of the current year or from the date of deposit as the case may be upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber become payable.

(3) In this regulation, the date of deposit shall in the case of recoveries from emoluments be deemed to be the first day of the month in which it is recovered, and in the case of amounts forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if it is received by the Accounts Officer before the fifth day of that month, but if it is received on or after the fifth day of that month, the first day of the next succeeding month :

Provided that where there has been delay in the drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently the recovery of his subscription towards the Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the regulations, irrespective of the month in which it was actually drawn :

Provided further that in case of an amount forwarded in accordance with the proviso to sub-regulation (2) of regulation 11, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month if it is received by the Accounts Officer before the fifteenth day of that month :

Provided further that where the emoluments for a month are drawn and disbursed on the last working day of the same month the date of deposit shall, in the case of recovery of his subscriptions, be deemed to be the first day of the succeeding month.

(4) In addition to any amount to be paid under Regulations 19, 20 or 21 interest thereon upto end of the month preceding that in which the payment is made, or upto the end of the sixth month after the month in which such amount, become payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid.

Provided that where the Accounts Officer has intimated to that person (or his agent) a date on which he is prepared to make payment in cash or has posted a Cheque in payment to that person, interest shall

be payable only upto the end of the month preceding the date so intimated, or the date of posting the Cheque as the case may be :

Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by the Government or an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) is subsequently absorbed in such body corporate or organisation with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due.....on he Fund accumulations of the subscriber, the date of issue of the orders regarding absorption shal be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber became payable subject however, to the condition that the amount recovered as subscriptions during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of order of absorption shall be deemed to be subscription to the Fund only or the purpose of awarding interest under this sub-regulation

Note : Payment of interest on the Fund balance beyond a period of a six months upto a period of one year may b authorised by the Accounts Officer after he has personally satisfied himself that the delay in payment was occasioned by circumstances beyond the control of the subscriber or the person to whom such payment was to be made and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated and action if any required, taken.

(5) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs the Accounts Officer that he does not wish to receive it; but if he subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he asked for it.

(6) The inerest on amounts which under sub-regulation (3) of Regulation 11, Regulation 19 or Regulation 20 are replaced to the credit of the subscriber in the Fund, shall be calculated at such rate as may be successively prescribed under sub-regulation (1) of this regulation and so far as may be in the manner described in this regulations.

(7) The rates of interest percent per annum as notified by the comptroller & Auditor General of India every year shall be adopted for calculation of interest under these Regulations.

(8) When subscriber retires on the last working day of a month, the period of six months for the purpose of Regulation 12 (4) ibid should be counted after excluding the immediate succeeding month, that is to say, for instance, when a subscriber's last day of service is the 31st of May, the period of six months should be computed from July to December.

(9) When a subscriber dies in the forenoon of the last day of a month before retirement, the period of six months for the purposes of Reguation 12(4) ibid. should be reckoned from the second month following the month in which he dies.

13. Advance from the Fund :—

(1) The appropriate sanctioning authority may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding an amount three months' pay or half the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes :—

(a) to pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability including where necessary, the tarvelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(b) to meet cost of higher education, including where necessary, the artvilling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases, namely :—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years;

(c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;

(d) to meet cost of legal proceeding instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Government source.

(e) to meet the cost of the subscriber's deference where he engage a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.

(f) to meet the cost of plot and/or construction of a house or flat for his residence or to make any payment towards the allotment of plot and/or flat by a Govt. Development Authority or a State Housing Board or a Registered House Building Co-operative Society, under relevant co-operative Act.

(1-A) The Chairman may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in Sub-regulation (1).

(2) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-regulation (1) or until repayment of the last instalment of any previous advance.

(3) When an advance is sanctioned under sub-regulation (2) before repayment of last instalment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

NOTE :—1. An advance under this Regulation may be sanctioned for the following purpose also:

(a) First Annual Sradh ceremony of a person who prior to his|her death was a member of the subscriber's family or was dependent upon him|her.

(b) Betrothal. Marriage ceremony of the subscriber or his sons or daughters or any other female relation actually dependent on him.

(c) Purchase of a Car|Motor Cycle|Scooter| moped.

2. For the purpose of this Regulation "Pay" includes pay, dearness pay where admissible.

3. The appropriate sanctioning authority shall be the authority that may be authorised by the Chairman.

4. A subscriber shall be permitted to take an advance once in every six months under item (b) of sub-regulation (1) of regulation 13.

5. The courses of tsudy to be treated as technical| specialised for the purpose of item (b) (ii) of sub-regulation (1) of Regulation 13. shall be as under :

(a) Diploma course in the various fields of Engineering and Technology, e.g., Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Telecommunication|Radio Engineering, Metallurgy, Automobile Engineering, Textile Technology, Leather Technology, Printing Technology, Chemical Technology, etc., conducted by recognised technical institutions.

(b) Degree courses in the various fields of Engineering and Technology, e.g. Civl Engineering Electrical Enginering, Tele-Electrical Communication Engineering and Electronics, Mining Engineering, Metallurgy, Aeronautical Engineering Chemical Engineering, Chemical Technology, Textile Technology, Leather Technology, Pharmacy, Ceramics etc. conducted by Universities and recognised technical institutions.

(c) Post-Graduate courses in the various fields of Engineering and Technology conducted by the Universities and recognised institutions.

(d) Degree and Diploma courses in Architecture, Town Planning and allied fields conducted by recognised institutions.

(e) Diploma and Certificate course in commerce conducted by recognised institutions.

(f) Diploma courses in Management conducted by recognised institutions.

(g) Degree courses in Agriculture, Veterinary Science and allied subjects conducted by recognised Universities and institutions.

(h) Courses conducted by Junior Technical Schools.

(i) Course conducted by Industrial Training Institutes under the Ministry of Labour and Employment (D.G.E. & T.).

(j) Degree and Diploma courses in Art|Applied Art and allied subjects conducted by recognised institutions.

(k) Draftsmanship courses by recognised institutions.

(l) Medical courses (including Allopathic, Homoeopathic, Ayurvedic and Unani systems) conduct by recognised institutions.

(m) B. Sc. (Home Science) course.

(n) Diploma course in Hotel Management conducted by recognised institutions.

(o) Degree and Post-Graduate courses in Home Science.

(p) Pre-Professional course in Medicine if part of regular 5 years course in Medicine.

(q) Ph. D. in Biochemistry.

(r) Bachelor and Master's Degree courses in Physical Education.

(s) Degree and post-graduate course in Law.

(t) "Honours" course in "Microbiology"

(u) Associateship of the Institute of Chartered Accountants.

(v) Associateship of the Institute of Costs and Works Accountants.

(w) Degree and Master's course in Business Administration or Management inclusive of Degree|Post-Graduate Diploma courses in Labour|Social Welfare|Personnel Management and or Industrial Relations.

(x) Diploma course in Hotel Management.

(y) M. Sc. course in Statistics.

(z) Master of Education and Bachelor of Education.

(aa) The Company Secretaryship Course of the Institute of Company Secretaries of India.

(ab) The Course of pre-sea training imparted on the Training ship "Rajendra" to prospective navigating officers on merchantships.

(ac) The course in Marine Engineering conducted in the Directorate of Marine Engineering Training.

(ad) Payment of initial charges for admission to the National Defence Academy, Khadakvasla, will also qualify for advances or final withdrawals.

(6) Advances|final withdrawals to the subscriber shall be sanctioned by the Chairman in relaxation of rule as follows :

(i) Advance for purposes other than those specified under Regulation-13 to the extent of 90 per cent of the balance of the G.P.F. accumulations at the credit of the subscriber; and

(ii) Withdrawal upto 90 per cent of balance of accumulation at the credit of the subscriber subject to other conditions prescribed under regulation 16 and 17 in this regard.

14. Recovery of Advance :—

(1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects and more than twentyfour. In special cases where the amount of advance exceeds three month's pay of the subscriber under sub-Regulation (2) of Regulation 13, the sanctioning authority may fix such number of instalments to be more than twentyfour but in no case more than thirtysix. A subscriber may, at his option, repay more than one instalment in a month. Each instalment shall be a number of whole rupee, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary, to admit of the fixation of such instalments.

(2) Recovery shall be made in the manner prescribed in Regulation 11 for the realisation of subscriptions, and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent while in receipt of subsistence grant or is on leave for days or more in a calendar month which either does not carry any leave salary or carries leave salary equaly to or less than half pay or half average pay, as the case may be The recovery may be postponed, on the subscriber's written request, by the sanctioning authority during recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

(3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by hi mand the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn shall forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default, be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lump sum or in monthly instalments got exceeding twelve as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under sub-regulation (2) of regulation 13.

Provided that, before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced and if an explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, it shall be referred to the Chairman for decision and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed in this sub-regulation.

(4) Recoveries made under this regulation shall be credited as they are made to the subscriber's account in the Fund.

15. Wrongful use of advance :—

Notwithstanding anything contained in these Regulations, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as an advance from the Fund under Regulation 13 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reasons for his doubt and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If, however, the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

NOTE : The term "emoluments" in the regulation does not include subsistence grant.

16. Withdrawal from the Fund :

(1) Subject to the conditions specified therein, withdrawals may be sanctioned by the authorities competent to sanction advance for special reasons under sub-regulation (2) of Regulation 13, at any time —

(A) after the completion of twenty years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement or superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely —

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely,—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage, and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage ;

(b) meeting the expenditure in connection with the betrothal/marriage of the subscriber or his sons or daughters and any other

female relation actually dependent on him ;

(c) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him ;

(B) after the completion of (ten years) of service (including broken period of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely,—

(a) building or acquiring a suitable house or readybuilt flat for his residence including the cost of the site ;

(b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready built flat for his residence;

(c) purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;

(d) reconstructing or making additions or alternations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;

(e) renovating, addition or alterations or upkeep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from Government at place other than the place of duty;

(f) constructing a house on a site purchased under clause (c).

(C) within six months before the date of the subscriber's retirement, from the amount standing to his credit in the Fund for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both

NOTE-1 :—A subscriber who has availed himself of a loan under the PPT House building loan scheme for house building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, shall be eligible for the grant of final withdrawal under sub-clauses (a), (c), (d) and (f) of clause (B) of this regulation for the purposes specified therein and also for the purposes of repayment of any loan taken under the aforesaid scheme subject to the limit specified in the proviso to sub-regulation (1) of Regulation 17.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Board he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under sub-clauses (a), (c) and (f) of clause (B) for purchase of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready-built flat at the place of his duty.

NOTE-2 :—Withdrawal under sub-clauses (a),(d), (e) or (f) of clause (B) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in case where the plan is actually got to be approved.

NOTE-3 :—The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (B) of clause (B) shall not exceed 3/4th of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is :3/4th of (the balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal(s).

NOTE-4 :—Withdrawal under sub-clause (a) or (d) of clause (B) shall also be allowed where the house site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

NOTE-5 :—Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this Regulation. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (f) of clause (B) for completion of the same house shall be allowed up to the limit laid down under Note 3.

NOTE-6 :—A withdrawal under this regulation shall not be sanctioned if an advance under Regulation 13 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

NOTE-7 :—Courses of study for which withdrawals may be given under sub-clause (a) of clause (A) of sub-regulation (1) of Regulation 16, shall be as specified under Note (5) below Regulation-13.

17. Conditions for withdrawal :—

(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in regulation 16 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of such amount or six month's pay, whichever, is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto 3/4th of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, (ii) the status of the subscriber, and (iii) the amount to his credit in the Fund.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under Regulation 16 shall satsify the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum by

the subscriber to the Fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Chairman.

Provided that, before repayment of a withdrawal is enforced under this sub-regualtion, the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced; and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner prescribed in this sub-regulation.

(3) A subscriber who has been permitted under sub-clause (a), (b) and (c) of clause (B) of sub-regulation (1) of Regulation 16 to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund shall not part with the possession of the house built or acquired or house-side purchased by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Board) or gift without the previous permission of the Chairman. He shall also not part with the possession of sub house or house-site by way of exchange or lease for a term exceeding three years without previous permission of the Chairman. The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year to the effect as to whether the house or house-site, as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged or otherwise transferred and shall, if so required, produce before the Chairman on or before the date specified by that authority in that behalf, the original sale deed and other documents on which his title to the property is based.

(4) If at anytime before his retirement the subscriber parts with the possession of the house or uhose-site witout obtaining the previous permission of the Chairman, the sums withdrawn by him shall forthwith be repaid in one lump sum to the Fund and, in default of such repayment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Chairman.

NOTE :—

1. An advance & final withdrawal for the same purpose should not be sanctioned together. In other words a person should be granted either an advance or a final withdrawal for a particular purposes subject to the conditions mentioned in Regulation-16. Further the advance which is subsequently converted into final withdrawal should be treated as final withdrawal under Regulation-16; that is to say, if a person has got an advance converted into final withdrawal under Regulation 18, he should not be allowed another final withdrawal for the same purpose under Regulation-16. This principle shall also apply to advance under Regulation-13(b).

2. A subscriber shall be permitted to make final withdrawal both on the occasion of the betrothal ceremony and an marriage ceremony. Each occasion shall be treated as separate for the purpose of Regulation 17(1) of these Regulations. This principle shall also apply to advances for marriage under Clause (c) of Regulation 13(1).

3. A subscriber should not be granted a second withdrawal for house building purpose at any place if he has already been granted a final withdrawal for similar purposes at the same place or another place. In other words, final withdrawal should not be allowed for more than one house.

4. Final withdrawals upto 90 per cent of the amount at the credit of the subscriber shall be sanctioned by the Chairman.

18. Conversion of an advance into a withdrawal : A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under Regulation-13 for any of the purposes specified in sub-regualtion (1) of Regulation 16 may convert at his discretion by written request to the Accounts Officer through the sanctioning authority, the balance outstanding against each into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in Regulations 16 and 17.

NOTE :—

(1) Method of computing the balance at credit for the purpose of applying the limitations in Regulation 17(1) while permitting conversion of advance into withdrawal shall be as under :

(i) For conversion of an advance into final withdrawal under Regulation 18 these Regulations, the balance for the purpose of Regulation 17(1) ibid. should be taken as the amount|subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in account at the time of the conversion plus the outstanding amount of the advance.

(ii) Under the Regulations, each withdrawal is to be treated as a separate one and hence the same principle would apply in the case of more than one conversion, i.e. in each case the limit under Regulation 17(1) would be applied taking into consideration the balance.

(2) There should not be any objection to the conversion of second advance into final withdrawal if the subscriber so desires, subject to the condition that the total amount so desired for conversion into final withdrawal should not exceed the limit prescribed in Regulation-17. In such cases where more than one Advance taken for the same purpose on different occasion are allowed to be converted into final withdrawal indvidually and separately, the sanctioning authority while forwarding the application to the Accounts Officer, should indicate therein the total amount to be converted to date.

19. Final withdrawal of accumulations in the Fund :

(1) When a subscriber quits the service the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to him :

Provided, that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service shall if required to do so by the Board, repay

any amount paid to him from the Fund in pursuance of this Regulation, with interest thereon at the rate provided in Regulation 12 in the manner provided in the proviso to Regulation 20. The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.

Explanation I.—A subscriber, who is granted refused leave shall be deemed to have quit the service from the date of compulsory retirement or on the expiry of an extension of service.

Explanation II.—A subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently reemployed, with or without a break in service, shall not be deemed to quit the service when he is transferred without any break in service to a new post under any other Major Port Authority (in which he is governed by another set of Provident Fund Regulations) and without retaining any connection with his former post. In such case, his subscriptions together with interest theron shall be transferred to his account in other Fund in accordance with the Rules of that Fund. The same shall hold good in cases of retrenchment followed by immediate employment whether under the Board or under any other Major Port Authority.

Explanation-III : When a subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently reemployed, is transferred, without any break, to the service under a body corporate owned or controlled by Government, or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, the amount of subscriptions together with interest thereon, shall not be paid to him but shall be transferred with the consent of that body, to his new Provident Fund account under that body.

Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Regulation Act ,1860, without any break and with proper permission of the Board. The time taken to join the new post shall not be treated as a break in service if it does not exceed the joining time admissible to an employee on transfer from one post to another:

Provided that the amount of subscription together with interest thereon, of a subscriber opting for service under a Public Enterprise may, if he so desires, be transferred to his new provident Fund Account under the Enterprise if the concerned Enterprise also agrees to such a transfer. If, however, the subscriber does not desire the transfer or the concerned Enterprise does not operate a Provident Fund, the amount aforesaid shall be refunded to the subscriber.

(2) No amount due to the Board by a subscriber shall be deducted from his accumulations in the G.P.F. at the time of his retirement, or from undisbursed G.P.F. accumulations payable to a subscriber's nominees in the event of subscriber's death in service or after retirement, as the case may be, even-though the consent of the subscriber or nominee may have been obtained. In cases where the subscriber or nominee is willing to repay the amount due to Board, the best course is to treat the repayment as a second transaction. The whole of money should first be paid intact and without any compulsion. Thereafter, the payee may be called upon of make good the Board's dues.

(3) No portion of the money misappropriated by the employee can be made good from his G.P.F. money.

(4) Final payment on dismissal to be made without reference to any appeal against dismissal. In case where the fact of appeal against dismissal comes to notice, payment need not be delayed if the subscriber applies for it. This is subject to drawal of attention of the subscriber for repayment of the amount with interest as contained in proviso under sub-regulation (1) of Regulation 19.

20. Retirement of Subscriber :—When a subscriber :—

(a) has proceeded on leave preparatory to retirement or if he is employed in Educational Institutions of the Board, on leave preparatory to retirement combined with vacation, or

(b) While on leave, has been permitted to retire or been declared by a Competent Medical Authority to be unfit for further service.

The amount standing to his credit in the Fund shall, upon application made by him in that behalf to the Accounts Officer, become payable to the subscriber :

Provided that the subscriber, if he returns to duty shall accept where the Board decides otherwise, repay to the Fund for credit to his account, the amount paid to him from the Fund in pursuance of this Regulation with interest thereon at the rate provided in Regulation 12 in cash or securities or partly in cash and partly in securities, by instalments or otherwise, by recovery from his emoluments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under sub-regulation (2) of Regulation 13.

21. Procedure on death of subscriber :—

On the death of a susbcriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made :

(i) When the subscriber leaves a family—

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of Regulathan 6 or of the corresponding rule heretofore in force in favour of a member or members of his family subsists, the amount

standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination ;

(b) if no such nomination in favour of a member or members of a family, of the subscriber subsists,or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares:

Provided that no share shall be payable to—

(1) sons who have attained majority;

(2) sons of a deceased son who have attained majority;

(3) married daughters whose husbands are alive;

(4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive;

If there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4):

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso.

(ii) when the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of Regulation 6 or of the corresponding regulation heretofore in force in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

NOTE :

1. Board's dues not recoverable from final payment of G.P.F. See. Sub-Regulation (2) of Regulation-19.

2. Disbursemnet of General Provident Fund moneys to persons on beholf of minors—

The payment of provident fund moneys to the extent of Rs. 5,000 (or the first Rs. 5,000 where the amount payable exceeds Rs. 5,000) on behalf of the minor(s) can be made to his|their natural guardian or where no natural guardian exists to the person considered fit by the Chairman Port Trust to receive payment on behalf of the minor(s) without requiring him to produce a guardianship ertificate. The person receiving payment on behalf of the minors should be required to execute a bond signed by the two sureties agreeing to indemnity Board against any subsequent claim. The balance in excess of Rs. 5,000, if any, would be paid in accordance with the normal regulations.

3. In cases where the natural guardian is a Hindu Widow|Hindu Widower, the payment of Provident Fund moneys on behalf of her|his minor children can be made to her|him with the approval of the Chairman, Paradip Port Trust without production of guardianship certificate or any indemnity bond unless there is any thing concrete to show that the interests of mother|father are adverse to those of the minor children.

4. Proforma for bond of indemnity for disbursement of Provident Fund money on behalf of minors—The indemnity bond may be executed on any durable plain paper and it should be in the Form-III appended to these Regulations.

5. A subscriber's posthumous child, if born, should be treated as a members of his family in the same way as surviving child, born before the subscriber's death. If the existence (on ventre de sa mere) of a posthumous child is brought to the notice of the Disbursing Officer, the amount which will be due to the child in the event of its being born alive should be retained & the balance distributed in the normal way. If the child is born alive, payment of the amount retained should be made as in the case of minor child; but if no child is born, or a child is still born, the amount retained should be distributed among the family in accordance with ordinary regulations.

6. Under Hindu Law, a step-mother is not the natural guardian of her minor step-son and in this case an order of the Court would be necessary.

7. If the identity of the legal representative can be established beyond doubt, paymtnt can be made with the approval of the Chairman to the legal representative, without the production of probate, letter of administration or a succession certificate, as the case may be. If there is any difficulty to establish identity and in any case, when probate, letters of administration or a succession certificate are not produced the case should be referred to the board whose decision would be final.

22. Manner of payment of amount in the Fund.—

(1) When tht amount standing to the credit of a subscriber in the Fund becomes payable, it shall be the duty of the Accounts Officer to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in sub-regulation (3).

(2) If the person to whom, under these regulations, any amount or policy, is to be paid, assigned or reassigned or delivered, is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment or reassignment or delivery shall be made to such manager and not to the lunatic :

Provided that where no manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic, the payment shall under the orders of the Collector be made in terms of Subsection (1) of Section 95 of the India Lunacy Act, 1912 to the person having charge of such lunatic and the Account Officer shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid for the maintenance of such members of the lunatic's family as are dependent on him for maintenance.

(3) Payments of the amount withdrawn shall be within India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment in India. The following procedure shall be adopted for claiming payment by a subscriber, namely :—

(i) To enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Fund, the Head of Office shall send to every subscriber necessary forms either one year in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation, or before the date of his anticipated retirement, if earlier, with instructions that they should be returned to him duly completed within a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Account Officer through the Head of Office or Department for payment of the amount in the Fund. The application shall be made—

(A) for the amount standing to his credit in the Fund as indicated in the Accounts Statement for the year ending one year prior to the date of his superannuation, or his anticipated date of retirement, or

(B) for the amount indicated in his ledger account in case the Accounts Statement has not been received by the subscriber.

(ii) The Head of Office|Department shall forward the application to the Account Officer indicating the recoveries effected against the advances which are still current and the number of instalments yet to be recovered and also indicate the withdrawals, if any, taken by the subscriber after the period covered by the last statement of the subscriber's account sent by the Account Officer.

(iii) The Account Ojfficer shall, after verification with the ledger account, give concurrence for the amount indicated in the application at least a month before the date of superannuation but payable on the date of superannuation.

23. Procedure on transfer of an employee from one Major Port to another :—

If an employee who is subscriber to the fund is permanently transferred to a pensionable service in any other Major Port in which he is governed by rules simlar to these Regulations the amount of subscription, togtther with interes thereon, sanding to his credit in the Fund on the date of ransfer shall be transferred to the credit in the Fund of such Major Port.

24. Relaxation of the provisions of the regulations in individual cases :—

When the Board is satisfied that the operation of any of the regulations causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, the Board may, notwithstanding anything contained in these regulations deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to it to be just and equitable.

NOTE :—The payment of Provident Fund shall not be made to a subscriber before the proceeds on leave preparatory to retirement or actually, retires, even in rlaxation under Regulation 24.

25. Number of account to be quoted at the time of the payment of subscription :—When paying a subscription in India, either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the Fund which shall be communicated to him by the Account Officer. Any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Account Officer.

26. Annual statement of accounts to be supplied to subscriber :—

(1) As soon as possible after the close of each year, the Account Officer shall send to each subscriber a statement of his account in the Fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date. The Account Officer shall attach to the statement of accounts an enquiry whether the subscriber—

(a) desires to make any alteration in any nomination made under Regulation 6 or under the corresponding rule heretofore in force :

(b) has acquired a family in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the proviso to sub-regulation (1) of Regulation 6.

NOTE :—

(1) On receipt of the Annual statements of account from the Accounts Officer, the Heads

(of Offices) should distribute them promptly amongst the subscribers concerned and obtain their acceptance of balances.

NOTE :—

(2) [If any subscriber finds that the balance at his credit as shown in the annual account statement is less than what he has actually subscribed/withdrawn or is otherwise incorrect, he should immediately submit a representation to his Head of Office. While forwarding the representation to the Accounts Officer concerned, the Head of Office should record thereon a certificate indicating the monthwise details of the subscriptions recovered from the salary of the subscriber during the year, or withdrawals made together with the particulars of the bills in which the recoveries/withdrawals were made.

NOTE :—

(3) The Account Officer shall then immediately initiate action to locate the missing crtdits/ debits and to adjust them in the subscriber's account in accordance with the procedures prescribed in this behalf by the Board and send necessary intimation to the Head of Office and the subscriber.

27. *Interpretation* :—

If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Board whose decision thereon shall be final.

[No. PR-12016/6/90-PE-I]
ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

FORM—I

STATEMENT OF PARTICULARS FOR ALLOTMENT OF PROVIDENT FUND ACCOUNT NUMBERS TO COMPULSORY SUBSCRIBERS FOR THE MONTH OF:

Office of the.....

Please read carefully the instructions printed on the reverse before filling in the form.

Head of account to which pay and relevances are debited

Name of fund : G.P.F.

.....

Sl. No.	Name of Port Employee (Subscriber)	Name of Subscriber's father/ husband:	Date of birth of Subscriber:	Date of joining service:	Designation
1	2	3	4	5	6

Emoluments:	Monthly rate of subscription (in whole rupees)	Month from which subscription to commence	Remarks:	To be filled in by F & A Department Account No. allotted.
7	8	9	10	11

No.....Dated.....

Forwarded in depulicae to the FA&CAO., PPT for necessary action. The employees whose names are included in their statements are required to join the General Provident Fund under rule 4 of Paradip Port Employees (G.P.F.) Rules, 1989. Their names have not been included in the previous statements and they are not already members of General Provident Fund (Nominations are enclosed as mentioned in the remarks column)

Certified that all the employees, whose names are shown above are eligible to subscribe to the General Provident Fund in accordance with the relevant rules.

(HEAD OF OFFICE).....

No.....Dated .....

Returned to .....Account Nos. allotted may be intimated to the subscribers and also noted in the Service Books, nominations and other official records. In all correspondence connected with General Provident Fund of any subscriber, the account number should be quoted. Receipt of nominations at Sl. Nos. .....is hereby acknowledged.

ACCOUNTS OFFICER.
OFFICE OF THE F.A. & C.A.O., PPT:

Instructions for filling the statement:

(a) This form should be used only in cases where subscription to the Fund is compulsory.

(b) The statement should be sent in duplicate. It should include permanent Port Employees who joined service in the previous month and are required to join the fund compulsorily on entry into Port Trust service and temporary Port Trust employees who will complete one year's continuous service or otherwise become eligible to subscribe to the provident fund, three months hence.

(c) Column 3 Husband's name (instead of father's name) may be given in respect of married female subscribers indicating the position.

(d) Column 7 Dearness pay, if any, may be distinctly shown.

(e) Column 8 please see Rule 9 of Paradip Port Employees (G.P.F.) Rules, 1989.

(f) Column 9 under the Paradip Port Employees (G.P.F.) Rules, 1989 a temporary Port Employee who completes one year's continuous service during the middle of a month shall commence subscribing to the G.P. Fund from his/her salary for the month following that in which he/she completes one year's service.

(g) The nomination should be obtained in the prescribed form from the subscriber and forwarded to the F.A. & C.A.O., PPT alongwith this statement making a suitable note in the remarks column.

FORM—II

FORM OF NOMINATION

ACCOUNT NO.——— —

I.....hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s)/non-member(s) of my family as defined in Rule 2 of the Paradip Port Employees (GPF) Rules, 1989 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below, in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

Name of full address of the nominee(s)	Relationship with the subscriber :	Age of the nominee(s):	Share payable to each nominee:	Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid:	Name, address and relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her predeceasing the subscriber:	If the nominee is not a member of the family as provided in Rule 2, indicate the reasons;

Dated this.....day of 19.....at.....

Signature of the subscriber .....
Name in block letters .....
Designation .....

Two witnesses to signature:
(Name

1. ———————
2. ———————

Signature:

(Reverse of the Form)

Space for use by the Head of Office (Finance & Accounts Department)
Nomination by Shri/Smt./Kumari.....**Designation**.....

Date of receipt of nomination.....

Signature of Head of Office
Accounts Officer.
Designation.....
Date .....

Instructions for Subscriber:

(a) Your name may be filled in.

(b) Name of the Fund may be completed suitably.

(c) Definition of term "Family" as given in the Paradip Port Employees (G.P.F.) Rules, 1989 is reproduced below:
Family means:-

(i) in the case of male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent; provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded;

(ii) in the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent; provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.)

NOTE: Child means legitimate child and includes an adopted child where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber.

(d) Col. 4. If only one person is nominated the words "in full' should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee over the whole amount of the Provident Fund shall be specified.

(e) Col. 5. Death of nominee(s) should not be mentioned as contingency in this column.

(f) Col. 6. Do not mention your name.

(g) Draw line across the blank space below last entry to prevent insertion of any name after you have signed.

NOTE: A nomination shall become invalid in case of a subscribed who had no family at the time or nomination subsequently acquiring a family.

FORM NO. III:

FORM OF BOND OF INDEMNITY FOR DRAWAL OF PROVIDENT FUND MONEY DUE TO THE MINOR CHILD/CHILDREN OF DECEASED SUBSCRIBER BY A PERSON OTHER THAN ITS/THEIR NATURAL GUARDIAN (TO THE EXTENT OF RS. 5,000/-)

KNOW ALL MEN by these presents We(a) .....son/daughter/wife of ..... (hereinafter called 'obligor') resident of .....and (b) (1) .....son/daugher/wife of .....and resident of .....and (b) (2) .....son/daugher of .....and resident of..... .....(hereinafter called the 'Sureties'), Sureties on her/his/their behalf are held firmly to the Board of Trustees .....(hereinafter called the Board) in the sum of Rupees (in words and figures) .....to be paid to the Board or his successors or assigns for which payment to be well and truly made, each of us severally binds himself and his heirs, executors, administrators and assigns and every two and all of us jointly bind ourselves and our respective heirs, executors, administrators and assigns firmly by these presents.

Signed this day of .....one thousand, nine hundred and .....

WHEREAS (c) .....was at the time of his death a subscriber to the General Provident Fund and Whereas the said (c) .....died on the day of .....One thousand, nine hundred and .....and a sum of Rupees (in words and figures) ....payable by Board on account of his General Provident Fund accumulations AND WHEREAS the above bounden Obligor claim(s) * .....the said sum on behalf of the minor child/children of the said (c) .....but has/have not obtained a guardianship certificate.

AND WHEREAS the Obligor(s) has/have satisfied the (d) .....(officer concerned) that he/she/they is/are entitled to the aforesaid sum and that it would cause undue delay and hardship if the claimant were required to produce a guardianship and WHEREAS the Board desire to pay the said sum to the claimant but under Board rules and orders it is necessary that the claimant should first execute a bond with two sureties to indemnify Board against all claims to the amount so due as aforesaid to the said (c) .....(deceased) before the said sum can be paid to the claimant which the obligor and at his/her request the sureties have agreed to do.

NOW THE CONDITION of this bond is such that if after payment has been made to the claimant the Obligor or Sureties shall in the event of a claim being made by any other persons against Board with respect to the aforesaid sum of Rs. ..... refund to Board the sum of Rupees .....and shall otherwise indemnify and keep the Board harmless and indemnified from all liabilities in respect of the aforesaid sum and all costs incurred in consequence of any claim thereto THEN the above written bond or obligations shall be void but otherwise the same shall remain in full force, effect and virtue. The Board have agreed to bear the stamp duty, if any, chargeable on these presents.

IN WITNESS WHEREOF the Obligor and the Surety/Sureties hereto have set and subscribed their respective hand hereunto on the day, month and year above written.

Signed by the above named 'Obligor' in the presence of

(1) .....

.....

(2) .....

.....

Signed by the above named 'Surety/Sureties'

(1) .....

.....

(2) .....

.....

in the presence of

.....

(Name and designation of the Witness).

Accepted for and on behalf of the Board of Trustees by

CHAIRMAN,
PARADIP PORT TRUST.

(a) Full name of claimant(s) with place(s) of residence.

(b) Name and address of the Sureties.

(c) Name of the deceased.

(d) Name and designation of the Officer.

*Here insert "to be entitled to" or "as guardian", as the case may be.

FORM — IV

APPLICATION FORM FOR FINAL PAYMENT OF BALANCES IN THE PROVIDENT FUND

Form of Application for Final Payment/Transfer to Corporate Bodies/Other Governments of Balances in the.....Provident Fund Account.

To
The F.A. & C.A.O.
Paradip Port Trust.
(Through the Head of Office)

Sir,

I am to retire/have retired/have proceeded on leave preparatory to retirement for..... ...months/have been discharged/dismissed/have been permanently transferred to ...../have resigned finally from Port service/have resigned service under Paradip Port Trust to take up appointment with..... ...and my resignation has been accepted with effect from.....forenoon/afternoon. I joined service with.....on.....forenoon/afternoon.

2. My Provident Fund Account No. is.....

3. I desire to receive payment through my office. Particulars of my personal marks of identification, left hand thumb and finger impressions (in the case of illiterate subscribers) and specimen signature (in the case of literate subscribers) in duplicate, duly attested by Drawing & Disbursing Officer, are enclosed.

PART—I

(To be filled in when the application for final payment is submitted up to one year prior to retirement).

4. An amount of Rs.....stood to the credit in my General Provident Fund Account as indicated in the Accounts Statement issued to me for the year.....as appearing in my ledger account being maintained by you. I request that my G.P.F. Account may be reviewed and brought up-to-date.

5. I will make another application immediately after last fund deduction has been made from my salary, in Part-II of the From.

Yours faithfully,

Signature .....
Name .....
Address.....

Station.....
Date .....

(FOR USE BY HEAD OF OFFICEE)

Forwarded to the F.A. & C.A.O. for necessary action.

2. The Provident Fund Account No. of Shri/Smt./Kumari (as verified/the Statements issued to him/her from year to year) is.....

3. He/She is due to retire from Port Trust service on.....

4. Certified that he/she had taken the followings advances in respect of which.....instalments of Rs..... are yet to be recovered and credited to the Fund Account. The details of the final withdrawals granted to him/her aftter the period covered by the aforesaid Accounts Statements are indicated below :

Temporary advances	Final withdrawals :
1.	.....
2.	.....
3.	.....

Signature of the Head of Office :

PATRT—II

(To be submitted by the subscriber immediately after the last fund deduction has been made from his salary. This part is also applicable in the case of subscribers who apply for final payment for the first time, after the date of superannuation, discharge, resignation, etc.)

In continuation of my earlier application, dated.....for the final payment of Provident Fund balances, I request that entire balance at my credit with interest due under the rules may be paid to me.

OR

I request that the entire amount at my credit with interest due under the rules may be paid to me/transferred to.....

Signature .....
Name .....
Address .....

(FOR USE BY HEADS OF OFFICES)

Forwarded to the F.A. & C.A.O. for necessary action/in continuation of endorsement No. .....

2. He/She is due to retire from service on...../has proceeded on leave preparatory to retirement for ..... months from...../has been discharged/dismissed/permanently transferred to...../has resigned finally from Port Trust services/has resigned service under Paradip Port Trust to take up appointment with.....and his/her resignation has been accepted with effect from forenoon/afternoon. He/she joined service with.....on.....forenoon/afternoon.

3. The last fund deduction was made from his/her pay in this office Bill No.....dated.....for Rs..... (Rupees.....Cash Voucher No.....dated..... ...the amount of deduction being Rs.....and recovery on account of refund of advances Rs.....

4. Certified that he/she was neither sanction advance nor any final withdrawal from his/her Provident Fund Account during the 9 months immediately preceding the date on which the last fund deduction has been made from his/her salary or there.

OR

Certified that the following temporary advances, final withdrawals were sanctioned to him/her and drawn from his/her Provident Fund Account during the 9 months immediately preceding the date on which the last fund deduction has been made from his/her salary or thereafter.

Amount of Advances/Withdrawals	Date	Voucher No.
1.....	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....

5. Certified that he/she has not resigned from Port Trust service with prior permission of the corrnpetent authority to take up an appointment in another Port Trust or Department of the Central Government or under a State Government or under a corporate owned or controlled by the State/Central Government.

(Signature of Head of Office)

FORM – V:

FORM OF APPLICATION FOR FINAL PAYMENT OF BALANCES IN THE POVIDENT FUND ACCOUNT OF A SUBSCRIBER TO BE USED BY THE NOMINEES OR ANY OTHER CLAIMANTS WHERE NO NOMINATION SUBSISTS.

To

The. F.A. & C.A.O.
Paradip Port Trust.
(Through the Head of Office)

Sir,

It is requested that arrangements may kindly be made for the payment of the accumulations in the General Provident Fund Account of Shri/Smt.:.....The necessary particulars required in this connection are given below :

1. Name of the Port Employee :
2. Date of birth :
3. Post held by the Port Employee :
4. Date of death :
5. Proof of death in the form of a death certificate issued by the Municipal authorities, etc., if available :
6. Provident Fund Account No. allotted to the subscriber
7. Amount of Provident Fund money standing to the credit of the subscriber at the time of his death, if known :

8. Details of the nominee alive on the date of death of the subscriber if a nomination subsists :

	Name of the nominee	Relationship with the subscriber	Share of the nominee
1.	.....		.....
2.	.....		.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....

9. In case the nomination is in favour of a person other than a member of the family, the details of the family of the subscriber subsequently acquired a family :

	Name	Relationship with the subscriber	Age on the date of death
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....

10. In case no nomination subsists, the details of the surviving members of the family on the date of death of the subscriber. In the case of a daughter, or of a daughter of a deceased son of the subscriber, married before the death of the subscriber, it should be stated against her name whether her husbands was alive on the date of death of the subscriber :

	Name	Relationship with the subscriber	Age on the date of death
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....

11. In the case of amount due to a minor child whose mother (widow of subscriber) is not a Hindu, the claim should be supported by Indemnity Bond or Guardianship certificate, as the case may be :

12. If the subscriber has left no family and no nomination subsists the nams of persons to whom the Provident Fund money is payable (to be supported by letter of probate or succession certificate, etc.)

	Name	Relationship with the subscribe	Address.
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....

13. Religion of the claimants(s) :

Yours faithfully.

Station :.....

(Signature of claimants)

Date.....

(Full name and address)

(FOR USE OF HEAD OF OFFICE/DEPARTMENT)

Forwarded to the F.A. & C.A.O., PPT for necessary action. The particulars furnished above have been duly verified.

2. The Provident Fund Account No.....of Shri/Shrimati/Kumari.....(as verified from the annual statements furnished to him/her) is.....

3. He/She died on.....A death certificate issued by the Municipal authorities has been produced/is not required in this case as there is no doubt about his/her death.

4. The last fund deduction was made from his/her pay for the month of.....drawn in this office Bill No. ..... dated ..... for Rs.....(Rupees.....Cash Voucher No.....Dt..... the amount of deduction being Rs.....and recovery, on account of refund of advance of Rs.....

5. Certified that he/she was neither sanctioned any temporary advance nor any final withdrawal from his/her Provident Fund account during the 12 months immediately preceding the date of his/her death.

OR

Certified that the following temporary advances/final withdrawals were sanctioned to him/her and drawn from his/her Provident Fund account during the 12 months immediately preceding the date of his/her death.

Amount of advances/withdrawals :	Date and place of encashment :	Voucher Number :
1.	.....	.....
2.	.....	.....

(Signature of Head of Office/Department) :

FORM — VI

PROFORMA FOR APPLICATION FOR ADVANCE FROM POVIDENT FUNDS :

PARADIP PORT TRUST

DEPARTMENT/OFFICE.....

Application for Advance from General Provident Fund.

1. Name of Subscriber :
2. Account Number :
3. Designation :
4. Pay : Rs.
5. Balance at credit of the subscriber on the date of application as below :
   - (i) Closing balance as per statement for the year : Rs.
   - (ii) Credit from.....to..... .on account of monthly subscription : Rs.
   - (iii) Refunds : Rs.
   - (iv) Withdrawals during the period from .....to..... : Rs.
   - (v) Net balance at credit : Rs.
6. Amount of advance/outstanding advances

Amount of advance taken and date of sanction	Balance outstanding as on date :
1.	.....
2.	.....

7. Amount of advance required : Rs.
8. (a) Purpose for which the advance is required :
   (b) Rules under which the request is covered :

(c) If advance is sought for House Building, etc. following information may be given. :

(i) Location and measurement of the Plot :

(ii) Whether Plot is freehold or on lease :

(iii) Plan for construction :

(iv) If the flat or plot being purchased is from a H.B. Society, the name of the Society, the location and measurments, etc. :

(v) Cost of construction :

(vi) If the purchase of flat is from any Development Authority or any Housing Board, etc., the location, dimension, etc., may be given :

(d) If advance is required for education of children, following details may be given :

(i) Name of the son/daughter :

(ii) Class and institution/College where studying :

(iii) Whether a day scholar or a hostler :

(e) If advance is required for treatment of ailing family members, following details may be given :

(i) Name of the patient and relationship :

(ii) Name of the Hospital/Dispensary/Doctor where the patient is undergoing treatment :

(iii) Whether outdoor/indoor Patient :

(iv) Whether reimbursement available or not :

NOTE : In case of advance under item 8(c) to 8(e), no certificate of documentary evidence would be required.

9. Amount of the consolidated advance (items 6 & 7) and number of monthly instalments in which the consolidated advance is proposed to be repaid : Rs.....in.....instalments.

10. Full particulars of the pecuniary circumstances of the subscriber, justifying the application for the advance :

I certify that particulars given above are correct and complete to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed by me.

Dated.....

Signature of applicant .....
Name .....
Designation .....

FORM—VII

PROFORMA FOR SANCTION OF ADVANCE FROM GENERAL PROVIDENT FUND
PARADIP PORT TRUST
NAME OF DEPARTMENT/OFFICE.....

No..... Dated.....

ORDER

Sanction of the.....is hereby accorded under Rule.....of.....for the grant of an advance of Rs.....(Rupees.....) to Shri/Shrimati/Kumari..... .....from his/her G.P.F. Account No.....to enable him/her to defray expenses on.....

2. The advance will be recovered in.....monthly instalments of Rs.....each, commencing from the salary for the month of.....payable in.....

3. A sum of Rs.....(Rupees.....) out of advance of Rs..... sanctioned in.....and paid to him/her in.....will be outstanding till the commencement of the recovery of the consolidated amount as sepcifying below. This amount together with the advance now sanctioned aggregating to Rs.....will be recovered in.....monthly instalments of Rs.....each commencing from the salary for the month of..... .....payable in.....

4. This issues with the concurrence of the Finance and Accounts Department vide their UOI No.....dated.....

HEAD OF OFFICE:

Copy communicated to:—

(1) F.A. & C.A.O., Paradip Port Trust.

(2) Person concerned.

(3) Bill Clerk.

FORM—VIII

PROFORMA FOR APPLICATION FOR WITHDRAWAL FROM GENERAL PROVIDENT FUND

Department/Office.....

Application for withdrawal from General Provident Fund.

1. Name of the Subscriber
2. Account Number
3. Designation (with department suffix)
4. Pay.
5. Date of joining service and the date of superannuation.
6. Balance at credit of the subscriber on the date of application as below:
   (i) Closing balance as per statement for the year .....
   (ii) Credit from.....to.....on account of monthly subscriptions
   (iii) Refunds made to the Fund after the closing balance, vide (i) above.
   (iv) Withdrawal druing the perlod from.....to.....
   (v) Net balance at credit on date of application
7. Amount of withdrawal required
8. (a) Purpose for which the withdrawal is required
   (b) Rule under which the request is covered.
9. Whether any withdrawal was taken for the same purpose earlier. If so, indicate the amount and the year.
10. Name of the Account Officer maintaining the Provident Fund Account.

Dated.....

Signature of Applicant

Name .....

Designation .....

FORM—IX

PROFORMA FOR SANCTIONING WITHDRAWALS FROM GENERAL PROVIDENT FUND

PARADIP PORT TRUST

NAME OF DEPARTMENT/OFFICE.....

No.....

Dated.....

To

The F.A. & C.A.O.,
Paradip Port Trust.

Sub : Withdrawal from the G.P.F. by Shri/Shrimati/Kumari.....

Sir,

I am directed to convey sanction of the.....under Rule of the..... Rules.....to the withdrawal by Shri.....(here enter the designation) of a sum of Rs..... (Rupees.....) from his G.P.F. Fund Account No..... (with departmental suffix) to enable him to meet expenditure.....

2. The amount of withdrawal does not exceed six months pay of Shri.....or half the amount at his credit/ subscription in the General Provident Fund account, whichever is less/three-fourth of the amount at the credit/ subscription of Shri..... in the General Provident Fund Account. His basic pay is Rs.....

3. It is certified that Shri..... is within 10 years of his retirement on superannuation/has completed twenty/twenty-five year of his Board service on.....

4. Shri.....was last sanctioned a part-final withdrawal by this office for an amount of Rs..... vide.....after the account statement for the year.....Shri.....is understood (as stated by him) to have been last sanctioned a part-final withdrawal of Rs.....by.....

Yours faithfully,

HEAD OF OFFICE:

Copy forwarded to :—

(1) Shri..... His attention is drawn to the provisions of the Regulations.....of Paradip Port Employees' (G.P.F.) Regulations according to which a subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund should satisfy the sanctioning authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn. A certificate to the effect that the withdrawal sanctioned above has been utilised for the purpose for which it has been sanctioned may, therefore, please be furnished within..... months of the drawal of the money.

(2)

(3)

FORM—X

FORM OF APPLICATION FOR CONVERSION OF AN ADVANCE INTO A FINAL WITHDRAWAL

1. Name of the Subscriber
2. Designation and Office to which attached
3. Pay
4. G.P.F. Account No.
5. Balance at credit on the date of application (amount actually subscribed by him along-with interest due thereon)
6. Balance outstanding to be converted into a final withdrawal
7. (a) Purpose for which advance taken
   (b) Date of payment of the advance
   (c) Amount of advance sanctioned
8. Particulars of communication under which advance was sanctioned
9. Whether any advance or final withdrawal has been drawn previously for the purpose mentioned above, If so, particulars thereof
10. (a) Total service, including broken periods, if any, on date of this application:
    (b) Period of service left on the date of application for attaining the age of superannuation
    (c) The date of superannuation

Place:

Date:

Signature of the Applicant

Date:

No.....

Date.....

The above particulars have been verified to be correct.

Signature and Designation of recommending authority

FORM—XI

PARADIP PORT TRUST
NAME OF DEPARTMENT/OFFICE.....
ORDER

No..... Dated.....

Sanction of ..... is hereby conveyed/accorded under Rule 18 of the Paradip Port Employees (General Provident Fund) Regulations 1989 for the conversion into final withdrawal of an amount of Rs..... (Rupees.....) being the outstanding balance out of the G.P.F. advance of Rs..... sanctioned on.....19..... ..... and drawn in Voucher No.....and dated.....for the (purpose)..... to Shri/Shrimati/Kumari..... .....of the Office of the.....(G.P.F. Account No.....)

Signature _____
Designation .....
Dated .....

Copy forwarded to :—

(1) F.A. & C.A.O., Paradip Port Trust.
(2) Person concerned.
(3) etc. etc.

Signature .....
Designation .....

FORM—XII

GENERAL PROVIDENT FUND
LEDGER

Account No. .....
Name .....
Designation .....

Date of appointment .....
Date of superannuation.....
Pay as on 31st March, 19....Rs. .....
Nomination received vide
Letter No .....
Dated... .....and accepted.

Year: 19—19	Subscription	Refunds	Total	Advances/ withdrawals	Monthly balance on which interest is calculated	Remarks
April						
May						
June						
July						
August						
September						
October						
November						
December						
January						
February						
March						

Balance on 31st March, 19 Rs. .....
Deposits and Refunds Rs. .....
Interest for 19 —19 Rs. .....

TOTAL Rs. .....

Deduct withdrawals Rs. .....
Balance on 31st March, 19 Rs. .....

BY CHECKED BY EXAMINED BY

FORM -XIII

PARADIP PORT TRUST

PORT EMPLOYEES GENERAL PROVIDENT FUND ACCOUNT SLIP FOR THE YEAR 19....-19.....

GPF Account No..... Name..... Designation..... Office Code.....

Month of Posting	Opening Balance	Subscription	Withdrawal	Refund	Interest	CLO Balance
April						
May						
June						
July						
August						
September						
October						
November						
December						
January						
February						
March						
Total						

Accounts Officer
Paradip Port Trust

N.B. :— Accounts relates to the transactions March 19..., to February 19.... rate of interest is 12.0% (twelve per cent.)

FORM—XIV

REGISTER OF FINAL PAYMENT CASES

Sl. No.	No. & Date of forwarding Application	Name & Designation	Account No.	Date of death/retirement/ quitting service	Date of authorising payment		Details of actual payment		Date of receipt of disbusement certificate		Remarks
					*Available balance	Resudual balance	*AB (indicate voucher No. & date	RB	*AB	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											

*Note 1 : When a single payment is made for the final settlement, the column "AB" would not be used.

Note 2 : Reminders issued for receipt of disbursement certificates are to be noted in Remarks column.

MEMORANDUM

Agenda Item No. 5(1)/89-90:

Sub: Framing of "Paradip Port Employees (General Provident Fund) Regulations, 1989"

At present Paradip Port has been following General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, by virtue of "Paradip Port Trust (Adoption of Rules) Regulations, 1967".

Government of India have issued instructions to all Major Port Trusts to frame their own rules/regulations covering all areas of service conditions of their employees, vide D.O. Letter No. PR-12025/5/88-PE-I dated 16/23/5/88 of Ministry of Surface Transports (Ports Wing) (ANNEXURE-I).

In pursuance to the aforesaid guidelines draft General Provident Fund Regulations titled "Paradip Port Employees (General) Provident Fund) Regulations 1989" (ANNEXURE-II) have now been framed and are placed before the Board of Trustees for their consideration and approval, as required under section 28 of MPT Act read with section 124 of the MPT Act. These regulations can become effective with the approval of the Ministry of Surface Transport, Government of India.

File No. AD-RR-44-44/89

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

Resolution No. 3/89-90 Dated 16-6-1989.

(A.I. No. 5(1)/89-90

The Board of Trustees approved the proposal as contained in the Memorandum.

(EXTRACT)

ANNEXURE—I

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(PORTS WING)

No. 1, Parliament Street,
Transport Bhavan, New Delhi-110 001.
****

Yogendra Narain,
Joint Secretary (Ports).
Tel. No. 382515
D.O. No. PR-12025/5/88-PE-I New Delhi, dated 16/23-5-88.

Dear Shri Mishra,

Kindly refer to the enclosed circular No. I-14/1/88-O&M dated 2-2-88. Major Port Trusts are governed by a statute of parliament viz. Major Port Trusts Act, 1963. Section 28 thereof empower them to frame regulations for regulating appointment and conditions of service of their employees. The Port Trusts have indeed framed regulations under this provisions but still all subjects have not been covered. We have vide our letter No. PR-12025/3/88-PE-I dated 1-2-88 circulated the extracts from the reports of committee on subordinate legislation and stressed that principal regulations should be prepared on all subjects mentioned in Section 28 of the Act. Attention is also invited to our letter dated 25-2-76 stressing the need for framing regulations independent by Ports on the subjects on which the Port Trusts have adopted Government Rules/Orders. It must also be ensured that when Government Rules/Orders have been adopted necessary amendments in the nomenclature must be effected on otherwise it would lead to avoidable legal complications.

2. I shall be grateful if you could kindly review the existing regulations and take urgent steps for updating them as well as new regulations wherever necessary. Action proposed to be taken may be intimated in the proforma prescribed in the enclosed circular.

With kind regards,

Yours sincerely,

Sd/- Yogendra Narain

Shri P.K. Mishra,
Chairman,
Paradip Port Trust,
Dist: Cuttack (Orissa).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991